मंगलवार,
५ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, ५ अगस्त १९५२

सदन की बैठक सवा दस बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न तथा उत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)।

निवारक निरोध (द्वितीयसंशोधन) विधेयक—जारी

खण्ड २—(धारा १ में संशोधन, आदि)—जारी

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : कल सदन की बैठक स्थगित होने से पूर्व अनेक सुझाव रख गये थे, विशेषकर, कलकत्ते से आन वाले मेरे माननीय मित्र द्वारा। इसके अलावा अन्य सुझाव भी रखे गये थे जिन के सम्बन्ध में मैं हाल ही में कुछ कहूंगा। किन्तु जिस बात के सम्बन्ध में सुझाव रखे गये थे, मुझे सदन को बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि—तथा मैं विश्वास करता हूं कि सब दलों के सदस्य मुझ पर यकीन करेंगे—जहां तक सरकार का सम्बन्ध है निवारक निरोध विधेयक प्रस्तुत करना कोई आनन्द की बात नहीं है। जितना भी शीघ्र हो हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। किन्तु, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जिन को निभाना है। यदि भारत के किसी भाग में कोई घटना होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी सरकार पर आती कि उसने उचित सावधानी से काम नहीं लिया और ऐसा दोष लगाया जाना उचित भी है। मैं एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता किन्तु आज भारत तथा विश्व की क्या दशा है यह तो सर्वविदित है। जैसा कि मैंने कल कहा था—तथा वैसा कहना ठीक भी है—निश्चय ही हम सामाजिक क्रांति से गुज़र रहे हैं। अपन अपने विचारों के अनुसार हम सभी उसको सफल बनाने के लिए उत्सुक हैं तथा इसका परिणाम यह है कि हम पुरानी बातों को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा नई व्यवस्था को स्थापित करन में लगे हुए हैं। इस नई व्यवस्था का स्थापित करना उतना ही कष्टदायक है जितनी कि प्रसव पीड़ा। प्रधान मंत्री ने इस पहलू पर बहुत कुछ कहा है तथा मैं अब उस में और कुछ जोड़ना नहीं चाहता।

बहुत सी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो, अपनी अपनी विचार धाराओं को प्रवर्तित करना चाहती हैं। हो सकता है हम उन से सहमत हों या असहमत हों। कन्तु वे तो हैं हीं। उसी प्रकार अन्य दल, पक्ष या वर्ग अपनी अपनी विचार धाराओं को प्रवर्तित करना चाहते हैं। इन के

[डा० काटजू]

अलावा कृषकीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, खाद्य स्थिति बनी हुई है जो स्वयं कठिनाइयों से खाली नहीं है। जो कुछ हो रहा है, उस के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने तथा मैं ने अनेक उदाहरण दिये हैं। कल रात जब मैं अपने ही शहर के समाचार पत्र "लीडर" को पढ़ रहा था तो मैंने मुख्य पृष्ठ पर ही यह समाचार पढ़ा "पन्त– अर्थात् उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री––की कड़ी चेतावनी। सरकार पुनः नियंत्रण लागू कर सकती है।" —मैं सुर्खियों को छोड़ता हूं––"समाज-विरोधी व्यापारियों द्वारा ए० पी० योजना से लाभ उठाना।" सदन ने खाद्य मंत्री को तो यह कहते सुना ही है––कदाचित् उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है—कि जब खाद्य स्थिति कुछ सुधरती जा रही है तो कुछ सरकारों ने एक नई प्रक्रिया का अनुसरण करना आरम्भ किया है, अर्थात् कुछ सीमा तक विनियंत्रण करना। यही प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है किन्तु उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पूर्वी जिलों में खाद्य स्थिति कुछ कुछ गम्भीर होती जा रही है। यदि सदन की अनुमति हो तो मैं इस समाचार पत्र में से केवल चार या पांच पंक्तियां पढ़ कर सुना दूं जो कि इस सम्बन्ध में हैं कि पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने क्या कहा :

> "सरकार द्वारा बुलाये गये खाद्यान्न बेचने वालों तथा आटा पीसने वालों के एक सम्मेलन में भाषण देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि एक महीने पूर्व खाद्य के सम्बन्ध में जो विनियंत्र किया गया था उसके बाद से खाद्यान्न का मूल्य बढ़ने लगा है तथा जिसके फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यदि खाद्यान्न का मूल्य नीचे न गिरा तो सरकार को पुनः नियंत्रण लागू करना पड़ेगा।"

उन्होंने आगे कहा :

> "पूर्वी जिलों में जहां लोग खाद्य का अभाव अनुभव कर रहे थे, मिताहार-योजना के अन्तर्गत उन क्षेत्रों को भेजे गये अन्न का, व्यापारियों में से समाज-विरोधी लोगों ने घृणित कार्यवाहियों के लिये प्रयोग किया। यह अमानुषिक तथा अतिनृशंस बात है। श्रीमान्, यह मेरी भाषा नहीं हैं ; यह पंडित पंत की है—"सरकार इस स्थिति को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकती है।"

मैं और आगे पढ़ना नहीं चाहता हूं। तो ऐसे भी लोग हैं। हमारा संविधान, बनाने वाले ऐसी परिस्थितियों के प्रति पूर्णरूप से जागरक थे। इसीलिए जान कर भी कि ऐसे क़ानून इंग्लैण्ड में सामान्यतः केवल युद्ध काल में ही लागू किये जाते हैं, उन्होंनें भारत के सम्बन्ध में इसे निविष्ट कर देना ही उचित समझा क्योंकि हम अन्तर्कालीन समय से गुजर रहे थे, हमारे गणतंत्र को स्थापित हुए अधिक समय नहीं हुआ था तथा ऐसे भी लोग मौजूद थे। निवारक निरोध क़ानूनों का जनहित, आवश्यक वस्तुओं को बनाये रखने तथा आवश्यक सेवाओं को जारी रखने में प्रयोग किया जाना चाहिये।

इन समाज-विरोधियों की कार्यवाहियों को रोकने के लिए सदन तथा सदन के बाहर बार-बार आवाज उठाई जाती है।

इनके अलावा अन्य प्रकार की भी कार्यवाहियां हैं। हमारा सीमाओं पर, मिश्र

में, नित्य ही इतिहास लिखा जाता है। विश्व के शेष भागों में क्या हो रहा है यह तो भगवान् ही जाने। कोई भी नहीं जानता कि हमारे भाग्य में क्या है। जैसा कि मैं कल कह चुका हूं भारत में हम कृषकीय क्रान्ति से गुज़र रहे हैं।

जब यह बात है तो सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये कि वह इस प्रकार उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। यह बात कही गई है: नजरबन्दों की संख्या को देखिये; १९४६, १९४७ तथा १९४८ में उनकी संख्या अधिक थी किन्तु आज तो उनकी संख्या बहुत ही कम है, केवल कुछ सौ; अतः स्थिति शांत हो गई है।

मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि संख्या में जो कमी हुई है वह कहां तक जनता द्वारा कानूनों के पालन करने के कारण हुई है तथा कहां तक सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्य-वाहियों को रोकने के कारण हुई है। इस पर अच्छी खासी चर्चा हो सकती है किन्तु मैं उस में पड़ना नहीं चाहता।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : इस बात को तो स्वीकार कर ही लिया गया है कि इस प्रकार का अधि-नियम होना चाहिये। अब प्रश्न इस बात का है कि इस समय मंत्री महोदय इसे दो वर्ष के लिये क्यों लागू रखना चाहते हैं? यदि एक वर्ष बाद स्थिति में सुधार नहीं होता तो वह पुनः सदन से अवधि बढ़ाने का निवेदन कर सकते हैं। किन्तु इसी समय दो वर्ष का निवेदन क्यों किया जा रहा है?

डा० काटजू : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य भाषण देने लगे हैं। कल शाम को जिस बात पर उन्होंने इतना लम्बा चौड़ा भाषण दिया था उसी को वह रिफ आज संक्षेप में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि यह विधेयक दो वर्ष के लिये हो या एक वर्ष के लिये। परि-स्थितियों को मैं जिस प्रकार से समझता हूं उस के अनुसार मेरे लिये इस में कोई अन्तर नहीं है। बात यह है कि १२ महीनों के पश्चात् सदन को इस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो अथवा नहीं। हम ने इन सब बातों पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा इसके हर पहलू की परीक्षा की है तथा हमारे सामने वह अनुभव भी था जो कि हम अब कर रहे हैं। इस ओर तथा उस ओर बैठे हुए प्रत्येक सदस्य मुझे बुरा भला कह रहे हैं कि मैं ने पिछले चार या पांच दिनों से उन्हें रोक रखा है। अन्यथा सदन की बैठक दस या बारह दिन पूर्व ही स्थगित हो गई होती। उनका कहना है : इस विधेयक के कारण इच्छा न होते हुए भी नजरबन्द रखना पड़ता है—यह इस बात का अच्छा उदाहरण है। इस वर्ष तथा पिछले वर्ष भी हमें इसी प्रकार का अनुभव करना पड़ा था। मुख्य बात यह थी कि सदन को इस समस्त अधिनियम पर वाद विवाद करने का अवसर दिया जाये अथवा नहीं तथा यह अधिनियम १२ महीनों के बाद जारी रहे अथवा नहीं। मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि हो सकता है कि सितम्बर तथा अगस्त के महीने सुविधाजनक न हों। वह उसे ३१ दिसम्बर, १९५४ तक रखने के लिये तैयार थे तथा उन्होंने ठीक ही कहा था कि यदि हम केवल उस एक खण्ड वाले विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं तो नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय हर प्रकार के संशोधनों को अनियमित ठहरा देंगे चाहे वे उस को उदार बनाने, सीमित करने या कम करने के सम्बन्ध में ही क्यों न हों। प्रश्न केवल विधेयक का रह जायेगा। कभी कभी मुझे दुःख होता है कि

[डा० काटजू]

मैं ने इस तरीके को नहीं अपनाया। यदि मैं ने ऐसा किया होता तो बहुत सम्भव है कि यह वाद विवाद कभी का समाप्त हो गया होता। मैं ने सोचा कि मैं और अधिक ध्यान देने लगूं, सरकार का सदस्य होने के कारण नहीं, बल्कि एक भारतीय होने के कारण तथा मैंने यह भी प्रयत्न किया कि यह अधिनियम अधिक सुगमता से कार्य कर सके किन्तु सत्य तो यह है, "जीवित रहो और सीखो।" कलकत्ते से आने वाले मेरे मित्र ने कहा था कि मैं एक खण्ड वाला विधेयक प्रस्तुत करूं तथा ऐसा करने से उन्हें अवसर प्राप्त हो जायेगा। हमें इस सुझाव पर विचार करना चाहिये। यदि मैं उस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करता हूं, तो क्या लाभ होगा? इस से केवल सदन को इस बात पर बहस करने का अवसर मिलेगा कि विधेयक की अवधि को आगे बढ़ाया जाये अथवा नहीं। उन्होंने स्वयं यह कहा था कि नियमों के अन्तर्गत और किसी बात पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

डा० एस० पी० मुकर्जी : खण्डों को लोप करने की अनुमति है।

डा० काटजू : खण्डों का तो कोई प्रश्न ही न होगा। अतः प्रश्न यह होगा कि आपको एक संकल्प पर अथवा नियमित रूप से बने एक-खण्ड वाले विधेयक पर बहस करने का अवसर दिया जाये। सदन को यह याद रखना चाहिये कि एक-खण्ड वाला विधेयक प्रस्तुत होने पर उसे घटाने बढ़ाने का अवसर न मिलेगा। यह आप के निर्णय के अनुसार ही है। वह एक-खण्ड वाला विधेयक अधिनियम बन जायेगा। हो सकता है इस बात पर तीन दिन बहस हो या दो घन्टे ही बहस हो कि उस विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। एक विधान सभा में तो केवल इस बात पर ही तीन दिन बहस हुई थी कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। तब कहीं यह बात उठती है कि विधेयक पर विचार किया जाय। प्रत्येक सदस्य बोल सकता है। भाषण देने पर कोई रोक न होगी यदि वह दो घन्टे में अपना भाषण समाप्त कर लेता है।

अब यह बहुत कुछ स्पष्ट है कि एक विधेयक पर जिसका माननीय सदस्य-गण समर्थन करते रहेंगे, काफी समय तक बहस चलती रहेगी। यह कोई एक तरफा बात तो है ही नहीं। यदि उस ओर वाले माननीय सदस्य दो दिन बोलेंगे तो इस ओर वाले माननीय सदस्य भी दो दिन बोलेंगे। वाक्य-चातुता का उत्तर वाक्य-चातुता से, आरोपों का प्रत्यारोपों से तथा अत्या-चारों के उदाहरण वैसे ही उदाहरणों से काटे जायेंगे। सबसे पहले पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव पर अनुमति का प्रश्न होता है तथा बाद में यह कि विधेयक पर विचार किया जाये। तब कहीं यह प्रस्ताव होता है कि खण्डों को पारित किया जाये। हमें बहुत सा काम करना है। हमें बहुत से विधान प्रस्तुत करने हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि वे कुल कितने हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझ ने वाले व्यक्ति हैं। हम अपनी राय प्रगट करना चाहते हैं। यदि कहीं इस प्रकार की प्रत्याभूति होती कि प्रत्येक विधान पर नियमित रूप से कुछ समय तक बहस होगी चाहे वह विधेयक हो चाहे संकल्प — अभिभाषण पर बहस को छोड़ कर—तो इस से कोई अन्तर न

होता कि वह एक खण्ड वाला विधेयक है अथवा केवल सकल्प मात्र है ।

अनुभव से लाभ उठाकर सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि दो वर्ष आवश्यक हैं। सदन इस सम्बन्ध में अपनी राय दे इस बात पर हम स्वय ही विचार करेंगे। सबसे पहले हम देश की स्थिति की जांच करवायेंगे, प्रत्येक राज्य सरकार से परामर्श करेंगे जोकि इससे मुख्यत: सम्बन्धित हैं। यदि वे इस निश्चय पर पहुचते हैं कि अधिनियम को वापस लिया जा सकता है या उसे बेकार समझा जा सकता है, तो हम वैसा ही आप से कह देंगे। तब हम एक निरसन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करेंगे। किन्तु यदि हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि परिस्थितियां ठीक नहीं है तो हम इसे एक सकल्प के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। मुझे आशा है कि एक दिन की बहस में चाहे वह तीन घण्टे की हो और यदि सदन की बैठक दो बार होती हो तो ७ घण्टों में, सदन के समस्त दल अपनी अपनी राय प्रगट करने में सफल होंगे तथा तब हम अन्य विषयों को लेंगे जो कि इससे महत्वपूर्ण होंगे जिनका सम्बन्ध देशभर के कल्याण से होगा। हम केवल इसी पर अनन्तकाल तक बहस न करते रहेंगे। तब हम इसके गुणों और अवगुणों पर बेधड़क बोल सकेंगे।

मैं ने हर प्रकार के विकल्पों पर विचार किया : आप इसे एक वर्ष कर सकते हैं जोकि केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकती है। किन्तु सदन इस बात को पसन्द नहीं करेगा। वैधानिक रूप से ऐसा किया भी जा सकता है अथवा नहीं, यह भी सन्देहपूर्ण है। दूसरा सुझाव यह रखा गया था कि पहले एक ही वर्ष के लिए लागू किया जाये तथा साथ ही स्वयं अधिनियम में यह उल्लेख कर दिया जाये कि यदि संसद के दोनों सदन इस प्रकार का कोई संकल्प पारित कर देते हैं कि अधिनियम की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाये, जो कुछ भी हो, तो वैसा कर दिया जायेगा। न्यायालय ने इसे अवैध ठहराया है। जतीन्द्र नाथ के मुकदमे में संघ न्यायालय ने इस प्रकार का निर्णय दिया है। बिहार में इस प्रकार का विधान है किन्तु इस सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यह प्रदत्त विधान हो जायेगा। यह मामला वैधानिक कठिनाइयों से भरा हुआ है। अत: मैंने यह सोचा कि यही उत्तम तरीका है अर्थात् , शर्द ऋतु वाले सत्र में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाये, चाहे वह नवम्बर में हो या अक्तूबर में। मेरे माननीय मित्र ने कृपा करके ३१ दिसम्बर १९५३ की तिथि स्वीकार कर ली है। ३१ दिसम्बर, १९५३ से पूर्व हम सदन की अनुमति ज्ञात करने के लिए संकल्प प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक सदस्य अपनी राय प्रकट कर सकता है। हमें इस सदन की राय तथा निर्णय स्वीकार करना ही होगा। इस सरकार पर संसद् का पूर्ण अधिकार है तथा मत्रालय सदन के प्रति जिम्मेदार है। इस प्रकार का निन्हात्मक मतदान लिया जा सकता है कि मत्रालय ने संकल्प को कार्यान्वित क्यों नहीं किया अथवा उस का पालन क्यों नहीं किया । यदि संकल्प पारित हो जाता है तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है। ससद् को इस विषय पर बहस करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यदि माननीय सदस्यगण तथ्यों तथा आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई सूचना चाहते हैं तो, श्रीमान् आपको तथा माननीय सदस्यों को यह तो ज्ञात ही होगा कि राजा जी द्वारा दिये गये वचनों का पालन किया जा रहा है। मेरे

[डा० काटजू]

माननीय मित्र तथा पूर्वाधिकारी ने सदन को यह वचन दिया था कि भारत के सूचना पत्र में छमाही आंकड़े प्रकाशित होते रहेंगे तथा ऐसा किया भी जा रहा है। यदि मैं यहां पर रहा तो मैं तथा मेरे बाद जो कोई भी इस पद पर आयेगा वह इन बातों की सूचना देता रहेगा कि समाज द्रोही व्यक्तियों की कितनी संख्या है, कितने अतिसंचय करने वाले हैं, कितने चोर बाज़ारी करने वाले हैं, कितने आतंकवादी हैं, इत्यादि; उस दिन प्रधान मंत्री ने जो सूची दी थी तथा उसी प्रकार की अन्य सूचनाएं उपलब्ध की जाती रहेंगी। और क्या चाहिये ? आखिर विधेयक शब्द में ही क्या लाल लगे हैं ? यह दूसरी बात है यदि माननीय सदस्य यह कहना चाहें कि आखिर उन्होंने विधेयक प्रस्तुत करवा ही लिया।

कल बाहर एक प्रदर्शन किया गया था तथा उन से कहा गया गया था कि "वे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लायें जिससे सरकार उनकी आवाज़ सुन सके"। मैं नहीं जानता कि ऐसा करने के लिए कहा गया था अथवा नहीं किन्तु समाचार पत्रों में तो यही प्रकाशित हुआ है। प्रस्तर मूर्ति से इस कमरे तक का फासला कोई अधिक नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैं गांवों में जाता हूं तो कोई भी इस अधिनियम की बात नहीं करता। यदि कोई करता भी है तो वह यही कहता है, "भगवान् के लिए मुझे अशान्ति से बचा लीजिये, मैं अपने घर में हिफाज़त से रहना चाहता हूं।" इस विधेयक के सम्बन्ध में यदि किसी को बेचैनी है तो वहां बैठे हुए सदस्यों को है। किन्तु यह है क्यों ? मेरे विचार से इस विधेयक द्वारा उनकी कार्यवाहियों पर बहुत अधिक रोक लग जाती है जिसको वे पसन्द नहीं करते हैं। जैसा कि मैं पहले तीन बार कह चुका हूं मैं इस सम्बन्ध में कोई वाद विवाद उठाना नहीं चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि हम मित्रतापूर्ण वातावरण में कार्य कर रहे हैं। तो सरकार की यह स्थिति है। मैं प्रत्येक सदस्य से सविनय निवेदन करता हूं कि हम उन्हें वह अवसर प्रदान करेंगे जो कि वे चाहते हैं।

दो अन्य बातें भी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मुझे ज्ञात नहीं है कि चित्तौर से आने वाले मेरे माननीय मित्र उपस्थित हैं अथवा नहीं। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं थी जो कि स्वयं मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। अन्यथा, मैं ने इस के सम्बन्ध में कुछ न कहा होता क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध मध्य भारत की राज्य सरकार से है। किन्तु उन्होंने अनेक स्थानों का नाम लिया, बड़े बड़े कस्बों और गांवों का उल्लेख किया जो कि मन्दसौर निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं तथा वास्तव में, मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ था क्योंकि १७ नवम्बर से मैं मन्दसौर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। उस क्षेत्र का शासन ठीक तथा नियमित ढंग से चल रहा है, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। वहां से खड़े होने वाले हम सब लोगों को चुन लिया गया। वह एक स्थान में हार गये। निर्वाचन ईमानदारी से हुए थे। कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था।

मैं फिर कह दूं कि मैं कोई गर्मा गर्मी की बातें नहीं फैलाना चाहता। आप को यह याद ही होगा कि मैं ने कुछ पोस्टरों का उल्लेख किया था जिन को मैं ने मन्दसौर में देखा था। वह पोस्टर गाय के सम्बन्ध में थे जिस में लिखा हुआ था : "इस कांग्रेस को तो देखो। क्या आप जानते हैं कि वे

लोग कौन हैं ?"—जवाब इस प्रकार था—"इन पापियों को देखो। वे तो बहनों और भाइयों में ही ब्याह करने पर तुले हुए हैं—" याद रखिये, भतीजे भतीजियों में नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत के कुछ भागों में, हिन्दुओं में, भतीजे भतीजियों में ब्याह कर लेने की अनुमति है—"सगे भाई बहनों में—ये पापी हैं। क्या आप उन्हें चुनने जा रहे हैं ?" यदि कोई माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें इन पोस्टरों की प्रतियां भिजवा सकता हूं। तथा दूसरी बात यह थी : "आप जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं ? वे हिन्दू समाज चाहते हैं, ऐसा समाज जिस में हिन्दू अपनी ही भतीजियों को ओर कामवासना की दृष्टि से देखें। इसीलिए, वे ऐसे ब्याहों को स्वीकार करवाना चाहते हैं....."

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या यह सब संगत है ?

डा० काटजू : मैं मन्दसौर का निर्देश कर रहा हूं। यह तो सीधा जवाब दिया जा रहा है। उत्तरी भारत के किसी भी भाग में इस प्रकार का ब्याह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि गुजरात में क्या स्थिति है। उत्तरी भारत में कोई भी अपने मामा की लड़की या चाचा की लड़की या बहन की लड़की या इसी प्रकार का कोई ब्याह करने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता। जनता एक ऐसा मसाला है जिस में आग लगते देर नहीं लगती किन्तु इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई।

चित्तौड़ से आने वाले कल मेरे माननीय मित्र ने मन्दसौर, रामपुर तथा अन्य स्थानों के नाम लिए थे। मैं ने तो इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी है। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा किया हो। यह बहुत ही अनुचित बात है। क्योंकि मैं उस भाग से आता हूं इसलिए मैं उस का उत्तर देने की स्थिति में हूं। वह मेरा जन्म स्थान भी है। अतः मैं नकारात्मक उत्तर दे सकता हूं। इस सदन के समक्ष ऐसे आरोप लगाना अनुचित बात है।

एक दूसरी बात जिसको कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं वह यह है कि मुझे यह सुन कर कुछ हंसी आई जब मेरे कुछ माननीय मित्रों ने उन बातों का लम्बा चौड़ा विवरण देना आरम्भ किया जो कि इस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हो रही हैं और वे भी आंकड़ों के साथ। प्रत्येक तीसरे मिनट में एक हत्या, और कोई दूसरी बात प्रत्येक सैकिंड में, अमुक अमुक बात प्रत्येक चौथे मिनट में—अपराधों की एक लम्बी सूची; एक दूसरे सदस्य ने भी यही बात कही थी :

"संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। यदि उन आंकड़ों को ध्यान में रखा जाये तो यही प्रतीत होगा कि विश्व में वही देश सब से अधिक अपराधों में बाजी मारे हुए है लेकिन इस पर भी वहां निवारक निरोध अधिनियम नहीं है।" इसकी चिन्ता उन्हें करना चाहिये कि वे अपने घर का प्रबन्ध किस प्रकार करते हैं न कि हमें या आपको। किन्तु मैंने इस बात पर भी विचार किया है कि मेरे अनेक मित्र हमेशा हमें यही दोष लगाते रहे हैं कि हम एंग्लो-अमरीकी गुट के एक भाग हैं तथा उनका कहना है कि हम "एंग्लो-अमरीकी गुट से निकल भागें।" वे अमरीका के सम्बन्ध में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, किन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, वे कहते हैं, "अमेरिका में क्या हो रहा है ? उसका अनुसरण कीजिए। इंग्लैण्ड में क्या हो रहा है ? उसका अनुसरण कीजिये।" अन्यथा, मैं इसमें कोई

[डा० काटजू]

संगति नहीं देखता हूं । कुछ भी नहीं । हमें यहां पर अपने ही मार्ग पर चलना है । हमारा स्वतन्त्र संसद् है । हम स्वतन्त्र लोग हैं । हमारी अपनी परिस्थितियां हैं तथा हम वही करते हैं जिसको हम उत्तम समझते हैं ।

मेरे मित्र के सुझाव के अनुसार इस विधेयक की अवधि १५ महीनों तक सीमित कर दी जाये । एक माननीय सदस्य ने एक दिन, दूसरे ने ६ महीने, इत्यादि के सुझाव रखे हैं । किन्तु इस सब के पीछे एक ही महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है कि इस बीच में बहस का मौका दिया जाये, सदन अपनी राय प्रगट कर सके । मैंने यह आश्वासन दिया है कि आगामी शर्द ऋतु में ऐसा करने का पूर्ण अवसर दिया जायेगा और इससे वह बात पूरी हो जाती है ।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि सरदार पटेल ने इसे एक वर्ष के लिए लागू किया, मेरे पूर्वाधिकारी ने इसे एक वर्ष के लिए लागू किया । मैं विस्तार की बातों में नहीं जाना चाहता किन्तु हम देख रहे हैं कि स्थिति किस प्रकार की है, विश्व की परिस्थितियां किस प्रकार बदल रही हैं । हम कृषकीय सुधार युग से गुजर रहे हैं तथा इसीलिए मेरा कहना है कि एक या दो वर्ष कह देने से काम नहीं चलता ।

अन्त में, मैं पुनः इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि संसद् का समय बहुत कीमती है तथा उसका उपयोग जनता के लाभ के लिए होना चाहिए । मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं । श्रीमान्, सदन की कार्यवाही नियमित रूप से चलाने के लिए आप तो यहां पर मौजूद ही हैं । मैं बहस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु यह तो कहना उचित ही है कि बहस को बहस के रूप में लिया जाये न कि प्रचार करने के लिए । हो सकता है मैं यह बात न कहूं किन्तु बहुत से अन्य अनुदार व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं कि संसद् के दोनों सदनों में इस विधेयक पर जो २४ या २५ दिन बहस हुई है वह इस विधेयक पर बहस करने के लिए नहीं अपितु अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के हेतु ।

श्री तुषार चटर्जी, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री के० के० बसु, श्री केलप्पन, श्री एन० बी० चौधरी, श्री रघवय्या तथा सरदार हुक्म सिंह द्वारा खण्ड २ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ४—(धारा ३ के संशोधन इत्यादि)

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैंने अपने संशोधन द्वारा अधिनियम के उपबन्धों में सुधार तथा ढिलाई लाने का प्रयत्न किया है विशेषकर उन उपबन्धों के सम्बन्ध में जो विदेशी शक्तियों के साथ भारत के सम्बन्ध तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के बारे में हैं । सरकार द्वारा इन धाराओं के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेटों को

इतने व्यापक अधिकार देना हितकर नहीं है। इस धारा के अन्तर्गत यदि कोई भी किसी विदेशी शक्ति की आलोचना करता है तो उसे उसके लिए दण्डित किया जा सकता है। किन्तु प्रजातन्त्र में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार की विदेश सम्बन्धी नीति की आलोचना कर सकता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान का ही मामला ले लीजिए। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ करता है तो सरकार तुरन्त ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। पाकिस्तान ने हमारी करोड़ों रुपये की सम्पत्ति हड़प कर रखी है यदि हम उसके बारे में भी कुछ कहते हैं तो सम्भव है सरकार को यह भी अच्छा न लगे और वह यह समझे कि इससे भारत-पाकिस्तान के बीच मनमुटाव बढ़ता है।

जिस धारा में 'शान्ति व्यवस्था बनाये रखने' के सम्बन्ध में निर्देश किया गया है। उस धारा का बहुत ही दुरुपयोग किया गया है इसका उनके विरुद्ध प्रयोग किया गया है जिनको जिला मजिस्ट्रेट नहीं चाहते थे या जिनको सत्तारूढ़ दल नहीं चाहता था। वर्तमान विधेयक का अभिप्राय उन लोगों पर पाबन्दी लगाना है जिनसे किसी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना है। किन्तु जब एक बार ऐसे व्यक्ति पकड़ लिये जाते हैं तो उनके मामलों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। कहीं अन्याय न हो जाय इसलिए उन्हें बचाव की पूरी सुवधायें दी जायें। कुछ भी हो, जिला मजिस्ट्रेटों को इतने व्यापक अधिकार देना ठीक नहीं है।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : लोक व्यवस्था बनाये रखने, विदेशी शक्तियों के साथ सम्बन्ध कायम रखने तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को बनाये रखने के निर्देशों को अपमार्जित करने वाले इन संशोधनों का मैं भी समर्थन करता हूं। लोक-व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में जो अभियोग पत्र दिया जाता है अधिकतर उसका सम्बन्ध भाषणों से होता है। "लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिये" शब्द बहुत ही व्यापक हैं। सरकार इनका हर प्रकार से प्रयोग करती है। स्वयं मेरे ही मामले को ले लीजिये। मैं १९४७ में नजरबन्द कर लिया गया था तथा मुझे नजरबन्द रखने के लिए २३ जनवरी, १९५१ को एक दूसरा आदेश दिया गया था। उस आदेश के अनुसार मुझे नजरबन्द बनाये रखने का एक कारण यह भी बतलाया गया था कि कालीकट में कुछ मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है तथा उन्हें कानून भंग करने पर आमादा करने में मेरा हाथ है। किन्तु, वास्तव में, मेरा इससे कोई सम्बन्ध न था। १९४७ से २२ जनवरी, १९५१ तक मैं जेल में था फिर भी प्राधिकारियों ने मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि कालीकट में १९४९ में जो जत्थे निकाले गये थे उनके लिए मैं ही जिम्मेदार था। यह आदेश भी मुझे जेल ही में दिया गया था। मेरी समझ में यह नहीं आता कि १९४९ में किये गये किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को १९५१ में कैसे नजरबन्द रखा जा सकता है।

बहुधा यही आरोप लगाया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने ऐसा भाषण दिया जोकि लोक व्यवस्था बनाये रखने के विरुद्ध था। यदि कोई व्यक्ति ऐसा भाषण देता है जिससे जनता द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही करने की सम्भावना है तो आप धारा १४४ की शरण ले सकते हैं। यदि वह उसे भंग करता है तो आप

[श्री ए० के० गोपालन]

तुरन्त ही उसे जेल में डाल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा भाषण दिया है जिससे लोक व्यवस्था के भंग हो जाने की सम्भावना है तो आप उसके विरुद्ध सामान्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। निवारक निरोध अधिनियम की शरण लेने से क्या लाभ? यदि आप समझते हैं कि देश के किसी भाग में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि यदि अमुक अमुक व्यक्ति भाषण देगा तो अशान्ति फैल जाने की सम्भावना है, आप धारा १४४ के अन्तर्गत उस व्यक्ति को भाषण न देने का आदेश दे सकते हैं। उसे बिना अपराध बताये जेल में रखने से क्या लाभ? भाषण अधिकतर आम सभाओं में दिये जाते हैं। यदि ऐसे भाषण लोक व्यवस्था के विरुद्ध हैं तो आप देश के सामान्य कानून की सहायता से उसे जेल भिजवा सकते हैं। साक्ष्य प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। आप दंड विधि-संहिता या भारतीय दंड संहिता का उपयोग कर सकते हैं।

माननीय गृह कार्य मंत्री ने कहा था कि इस विधान को पारित करवाने का एक कारण यह भी है कि हम उसे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उपयोग करना चाहते हैं जो जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं में चोर बाज़ारी करते हैं। पिछले दो या तीन वर्षों में इस का कितने चोरबाज़ारी करने वालों के विरुद्ध प्रयोग किया गया है यह तो मुझे ज्ञात नहीं है किन्तु ऐसे मामले मुझे अच्छी तरह मालूम हैं जिनमें इसका प्रयोग मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं को दबाने के लिये किया गया है। और यह सब लोक व्यवस्था बनाये रखने के नाम में।

दूसरी बात है विदेशी शक्तियों के साथ हमारे सम्बन्ध। कहा जाता है कि हम उनकी बहुत कटु आलोचना करते हैं जिसका फल यह होता है कि बहुधा हमारे सम्बन्ध उस देश के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं रह पाते। उनमें तनाव आ जाता है। किन्तु मेरा तो केवल एक निवेदन है क्या आप ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य विधान का उपयोग नहीं कर सकते हैं? क्या आप का उद्देश्य इस विधेयक द्वारा उन व्यक्तियों को दंड देना है जिन्हें सामान्य विधान द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता है? यदि आपका यही उद्देश्य है तो आप भारतीय दंड संहिता तथा दंड निधि संहिता में आग क्यों नहीं लगा देते? आप यह घोषणा कर दीजिये कि यह विधान बेकार है। हम ऐसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं जब इनका कोई लाभ नहीं है। हम निवारक निरोध अधिनियम का ही उपयोग करेंगे। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

यदि धारा ३ की उपधारा (३) के अनुसार प्राधिकारी को इस बात का निर्णय करने की छूट दे दी जाती है कि वह कौन से कागज़ात राज्य सरकार को भेजे तथा कौन से नहीं तो इससे उस व्यक्ति के साथ अन्याय हो सकता है जिसे निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया है। प्राधिकारी तो अपना मामला पक्का रखने के लिए वही कागज़ात भेजेगा जिनको वह समझता है कि वे उसका मामला पक्का करने में सहायक सिद्ध होंगे। अतः निरोध आदेश से सम्बन्ध रखने वाले समस्त कागज़ात राज्य सरकार के पास भेजे जाने चाहियें। प्राधिकारी को यह निर्णय करने का अधिकार न दिया जाना चाहिये कि कौन

से कागज़ात प्रांसगिक हैं अथवा कौन से नहीं।

श्री एस० एस० मोरे : निवारक निरोध अधिनियम की आत्मा धारा ३ है यद्यपि वह काफी गल सड़ गई है। इस धारा के अन्तर्गत कार्यपालिका को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दायित्वों के विरुद्ध हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम ज़िला मजिस्ट्रेटों, पुलिस के कमिशनरों इत्यादि को व्यापक अधिकार देते हैं तो हमें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये। इस बात को स्वीकार करते हुए कि ऐसे अधिकार बहुत आवश्यक हैं फिर भी मेरा निवेदन है कि इन अधिकारों का प्रयोग केवल सबसे उच्च प्राधिकारी ही करें। किसी व्यक्ति को नज़रबन्दी में रखने के आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिशनर द्वारा दिये जाने की बजाय केन्द्रीय या राज्य सरकार के गृह कार्य मंत्रियों द्वारा दिये जाने चाहिये। यदि किसी राज्य में मंत्रिमण्डल कार्य न कर रहा हो तो ऐसे आदेश केवल बहुत ही उच्च अधिकारी द्वारा जारी किये जाने चाहियें।

कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्त में राज्य सरकार द्वारा तो यह आदेश अनुमोदित किये ही जायेंगे फिर मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार क्यों न दिये जायें? मेरा निवेदन है कि नौकरशाही के काम करने का तरीका कुछ अजीब सा होता है। वह तो उसी व्यक्ति पर भरोसा करती है जो किसी विशेष स्थान पर कार्य करता हो। यदि कोई तहसीलदार कोई बात कहता है तो मंत्रालय का सचिव तक उसे स्वीकार करने को तैयार हो जायेगा क्योंकि नौकरशाही तो पुराने ढांचे के अनुसार ही कार्य करती है। मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि यदि ज़िला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिये गये तो सम्भावना है कि वे उनका दुरुपयोग करें। आखिरकार, यह अधिकारी कोई राजनैतिक अधिकारी तो हैं नहीं। जो कोई भी सत्तारूढ़ होगा ये उसी की खुशामद में लगे रहेंगे जैसा कि इन्होंने अंग्रेजों के समय में किया था। आज कांग्रेस वाले अपना रोब इन लोगों पर जमाते हैं। जो चाहते हैं अधिकारियों पर ज़ोर डाल कर करवा लेते हैं। सम्भव है कि कांग्रेस दल इनकी आड़ में अपने विरोधियों को दबाने का प्रयत्न करें। अतः मेरा निवेदन है कि यह अधिकार केवल गृह कार्य मंत्री द्वारा ही प्रयोग किये जायें।

कुछ लोगों का कहना है कि ज़िला मजिस्ट्रेट इन अधिकारों का प्रयोग राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् कर सकते हैं। किन्तु हम ने अपने नये विधेयक में यह उपबन्ध रखा है कि यदि ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया विशेष आदेश राज्य सरकार द्वारा १२ दिनों की अवधि में अनुमोदित नहीं किया जाता तो वह कालातीत हो जायेगा। यदि इस खंड का कोई विशेष महत्व है तो सरकार द्वारा पहले ही से गुप्त आदेश देने का कोई लाभ न होगा जैसा कि श्री गाडगिल ने सुझाव रखा था। यदि पहले ही से गुप्त परामर्श कर लेने का अधिकार दे दिया जाता है तो फिर राज्य सरकार बाद में उस मामले पर निष्पक्ष हो कर किस प्रकार विचार कर सकेगी?

श्री नम्बियार (मयूरम्) : अधिनियम की धारा ३ में आवश्यक प्रदाय को शामिल कर लिया गया है। सामान्य विधि के अनुसार मजदूरों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने मजदूर संघ बनायें तथा आवश्यकता हो तो हड़ताल भी करें। मान

[श्री नम्बियार]

लीजिये कि रेलवे कर्मचारी हड़ताल करना चाहते हैं। किन्तु जैसे ही वे लोग इसकी सूचना सरकार को देते हैं निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग आरम्भ हो जाता है। कार्यकर्त्ताओं तथा उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका फ़ल यह होता है कि रेल कर्मचारी निवारक निरोध अधिनियम से डर कर सरकार को बिना सूचना दिये ही हड़ताल कर बैठते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि सूचना दी जाती है तो सरकार इसी अधिनियम का प्रयोग करेगी। इसका असर यह होता है कि रेलवे कर्मचारी यह समझने लगते हैं कि इस देश में मज़दूर संघ इत्यादि नहीं बनाये जा सकते हैं, सामान्य विधि का कोई मूल्य नहीं है।

आप स्वयं तो इस अधिनियम का प्रयोग करके देश में अराजकता फ़ैलाते हैं तथा उसके लिए अपने विरोधियों दोषीको ठहराते हैं। निवारक निरोध अधिनियम तो दोहरी धार वाला हथियार है : इससे अराजकता फ़ैलती है तथा साथ ही कांग्रेस अपने विरोधियों का भी दमन करती है। अतः मैं उसका विरोध करता हू।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : मैं श्री एस० एस० मोरे के सशोधनों का समर्थन करता हूं। विदेशों के साथ जो हमारे सम्बन्ध हैं उनके नाम पर इस विधेयक को लागू करना कहां तक उचित है ? यदि कुछ जवान लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं जोकि आपकी वैदेशिक नीति से मेल नहीं खाते तो आप उनको यह कह कर जेल में क्यों डालना चाहते हैं कि इससे आपके वैदेशिक सम्बन्ध में तनाव आ जाता है ? आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रगट करने का अधिकार है। पाकिस्तान का ही मामला ले लीजिये। वे लोग प्रति दिन हमारी सीमाओं पर हमले करते रहते हैं किन्तु हमने एक बार भी उनको उलट कर जवाब नहीं दिया। फ़िर भी यदि कोई पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहता है तो आप पाकिस्तान की सरकार को खुश करने के लिए उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत जेल में डाल देते हैं। आप किस मुंह से यह कह सकते हैं। ऐसा करने से आप पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध बनाये रखने मै सफ़ल रहेंगे ? यह तो आप इस अधिनियम का अनुचित प्रयोग करते हैं।

जहां तक सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने का सम्बन्ध है आप के पास दण्ड प्रक्रिया संहिता मौजूद है जिसका आप मौके पर प्रयोग कर सकते हैं। फ़िर आप इस अधिनियम का ही प्रयोग क्यों करना चाहते हैं ? यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत मजिस्ट्रेटों को निरोध आदेश जारी करने का अधिकार मिल जाता है तो वे इसका अनुचित प्रयोग करेंगे। आजकल मजिस्ट्रेट तो जिला कांग्रेस सचिव या प्रधानों की कठपुतली बने हुए हैं। वे जानते हैं कि यदि हमने कांग्रेस वालों का कहना न माना तो नौकरी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। इस प्रकार कांग्रेस वाले इस अधिनियम की आड़ लेकर अपने विरोधियों को कुचलना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार केवल गृह कार्य मंत्री को दिया जाये क्योंकि वह तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। अतः मेरा कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आपको इस अधिनियम की बजाय दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुसरण करना चाहिए।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फर्रुखाबाद–उत्तर) : विधेयक के खंड ४ के सम्बन्ध में जितने भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं। धारा ३ को खण्डों में विभाजित कर दिया गया है। खण्ड (२) का सम्बन्ध राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से है। मेरे विचार में राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये ही स्थापित किया जाता है। यदि "सार्वजनिक व्यवस्था" शब्द खण्ड से निकाल दिये जायें तो खण्ड का कुछ महत्व ही नहीं रहता। उसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय को बनाये रखना भी है। अब हम विनियंत्रण की ओर बढ़ रहे हैं। चोरबाज़ारी करने वाले कहीं आवश्यक वस्तुओं को गायब ही न कर दें इसलिये उन को पहले ही से सावधान करने के लिए हमें इस अधिनियम की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये।

एक दूसरी बात यह उठाई गई है कि नज़रबन्दी के आदेश जारी करने का अधिकार मजिस्ट्रेटों को न दिया जाय बल्कि यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाये। इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण भी दिय गये हैं कि मजिस्ट्रेटों ने किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया है। किन्तु अब तो सलाहकार बोर्ड की व्यवस्था कर दी गई है। यदि कोई ऐसा ग़लत आदेश जारी किया जाता है तो सलाहकार बोर्ड तुरन्त ही उसे रद्द कर देगा। अतः अब इस प्रकार की आशंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : अनेक सदस्यों ने जिन में डा० एस० पी० मुखर्जी भी हैं यह सुझाव रखा था कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७, १०८, १४४ और १४२ का प्रयोग करें, न कि निवारक निरोध अधिनियम का। किन्तु मेरा निवेदन है कि यह धारायें ऐसी हैं जिनके अन्तर्गत पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को ज़मानत पर छोड़ना पड़ता है। मान लीजिये कोई व्यक्ति अपने प्रचार द्वारा अशान्ति फैलाना चाहता हो तो आप उसे धारा १०७ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर सकते हैं। किन्तु उसे ज़मानत पर छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है वह ज़मानत की अवधि में प्रचार करे तथा इसके पश्चात् लुक छिप कर काम करने लगे तथा न्यायालय में हाजिर ही न हो। अतः यह धारा या अन्य धाराएं ऐसे समय में काम नहीं दे सकतीं। दूसरी बात यह भी है कि अक्सर पुलिस को खबर लगती रहती है कि अमुक अमुक स्थान पर क्या होने वाला है। यदि न्यायालय में पुलिस को अपनी खबरों का सूत्र भी बतलाना पड़े तो सम्भव है ऐसी खबरें देने वाला जीवित ही न रहे। अतः इस धारा से काम नहीं चल सकता। यह बात धारा १४४ के सम्बन्ध में भी लागू होती है। इसलिए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम केवल दंड प्रक्रिया संहिता पर ही भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ और अधिकार भी चाहियें जो कि इस अधिनियम द्वारा प्राप्त होते हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट के क्लाज ४ पर कुछ बोलने का मौका दिया। करीब पन्द्रह रोज से जब से इस बिल पर बहस चल रही है और इस बात पर जोर दिया गया है कि मुल्क के जिन भागों में वायलेंट ऐक्टिविटीज (हिंसात्मक कार्यवाहियां) चल रही हैं, उन को जब तक हम इस प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के जरिये खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश के झंडे को ऊंचा नहीं उठा सकते। और इस बात को दृष्टि में रखते हुये

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

इस सेक्शन ४ में जो दो अवस्थायें बताई गई हैं, वह तो मौजूं हैं। लेकिन अगर इस ऐक्ट को सारे हिन्दुस्तान भर में लागू करना है तो इस को कलक्टर के द्वारा अमल कराने के बजाय उस स्टेट के वजीर अमन के द्वारा कराया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस कानून का अमल हर जिले के कलक्टर द्वारा ही कराना चाहते हैं, फिर इस में कुछ रद्दोबदल करना जरूरी होगा और पब्लिक पीस ऐण्ड आर्डर (सार्वजनिक शान्ति तथा व्यवस्था) को मद्देनजर रखते हुए होम मिनिस्टर साहब मैं समझता हूं कि इस तरह की तबदीली इस कानून में कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं इस एक आम उसूल को और ज्यादा फ़ोर्स देने के लिये आप से दो तीन मिनट की माफी चाहता हूं ताकि मैं कुछ अपने स्टेट हैदराबाद की, जिस की मैं यहां पर नुमायन्दगी कर रहा हूं, एक नक्शा आप के सामने रख सकूं।

केवल हैदराबाद एक ऐसी स्टेट है जहां के लोग बिल्कुल अमनपसन्द और शान्ति-पसन्द हैं। मैं आम जनता की बात कह रहा हूं। लेकिन तैलंगाना एक ऐसा इलाका है जहां हिंसावादियों की ताक़त बढ़ी। और हमें गौर करना चाहिये कि वहां ही ऐसा क्यों हुआ। वहां पर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग रहते हैं। उन गरीबों को वहां पर किसी क़िस्म की आजादी नहीं थी। निजाम राज्य के दौरान में जब वहां पर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट (क्रान्तिकारी आन्दोलन) शुरू हुआ और कांग्रेस ने भी अपना मूवमेंट शुरू किया वहां के हिंसावादियों ने इन दिनों फ़िउडल फोर्स (सामन्तशाही) के साथ अपनी ताक़त मिला कर मवूमेंट को और बढ़ाने की कोशिश की। अब हम जो आर्म्स (हथियार) वगैरह हम देखते हैं, वहां छिपी हुई मशीन गनें, बन्दूकें और दूसरी अशिया जो दिखाई पड़ती हैं वह इन्हीं हिंसावादियों ने वहां के लोगों को दीं। यह लोग वहां की अहिंसा-वादी ताक़त को बर्बाद करने की कोशिश सन् १९४८ से ही कर रहे हैं। उन मूवमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश अब भी की जा रही हैं। इसको खत्म करने के लिये अहिंसा-वादियों को कोशिश करनी चाहिये। लेकिन उन को यह समझ लेना चाहिये कि यह किसी पार्टी पालिटिक्स की बात नहीं है। हमें इसका सामना अहिंसावाद से ही करना चाहिये। जिस तरह हम ने अहिंसावाद की पालिसी को अख़्त्यार कर के हिन्दुस्तान को आज़ाद किया है उसी तरह तेलंगाना में अगर हम चलेंगे तो यह मूवमेंट तीन दिन में खत्म हो सकती है। अगर हम इस तरह के ऐक्टों से काम लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम इस प्रिवेन्टिव डिटन्शन ऐक्ट को दो क्या चार साल के लिये भी कर दें और कितनी ही कोशिश करें, हम इस मूवमेंट को खत्म नहीं कर पायेंगे। जब तक हम वहां लैंड रिफार्म्स (भूमि सम्बन्धी सुधार) नहीं लाते हैं, जब तक हम वहां विनोबा भावे जैसे आदमियों को लाकर लैंड डिस्ट्रीबुटिव रिफार्म (भूमि वितरण सुधार) की मूवमेंट नहीं शुरू करेंगे तब तक कुछ फायदा नहीं हो सकता। जिस तरह यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने तेलंगाना में पंद्रह सौ आदमियों का कत्ल किया, पंद्रह सौ आदमियों ने गोली के सामने जान दे दी, अगर कम्यूनिस्ट सत्याग्रह करने के लिये पंद्रह आदमी जान दे देते तो वहां का नक्शा ही बदल जाता, और आज जो आप इधर बैठे हैं, कहीं और बैठते। लेकिन आप ने वह नहीं किया इसलिये वहां अमन नहीं हुआ।

लिहाजा मेरा कहना है कि जो कुछ हम चाहते हैं वह देश की आजादी की रक्षा और देश की शान्ति है, जिस तरह से हम ने देश की आजादी हासिल की है उसी रास्ते पर हम को रोज बरोज बढ़ना चाहिये।

मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लिये जो कुछ हम ने हासिल किया है उस में एक और भी भूल हो रही है, कि हम अपनी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा छोटे अफसरों पर दे देते हैं और छोटे अफसरों को ताकत देने के बाद हम वहां ऐसे इन्फ्लुएन्स (शक्तियां) पैदा करते हैं, वर्कर्स के तवस्तुत से कि वह मजबूर हो जाते हैं। अगर हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोटे अफसरों के हाथ में देंगे तो आखिर हम क्या पायेंगे? इसलिये मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर स्टेट के खिलाफ जो भी बोले उस को गिरफ्तार किया जायेगा, या पब्लिक आर्डर के नाम पर गिरफ्तार किया जायगा, इस के बजाय साफ तौर से रख दें कि जो वायोलेंट ऐक्टिविटीज में पार्ट लेता है, या पब्लिक सेफ्टी (लोक रक्षा) के खिलाफ हो, आर्म्ड मूवमेंट (सशस्त्र आन्दोलन) शुरू करना चाहता हो ऐसे लोगों के वास्ते यह ऐक्ट इस्तेमाल होगा। इस बात को साफ कह कर अगर आप जिला अधिकारियों को अधिकार देते हैं तो कोई परवाह नहीं है। और अगर आप इस तरह से तब्दील नहीं कर सकते और खास कर इन मुबहम अल्फाज के साथ तो सिर्फ स्टेट के मिनिस्टर के हाथ में यह ताकत देना ज्यादा मुनासिब होगा।

मुझे ज्यादा बात नहीं कहनी है। लेकिन यह जरूर कहना है कि जो हमारा मूवमेंट है, "अहिंसा का" उस की रक्षा किये बगैर देश की तरक्की नहीं हो सकती और न देश की आजादी फूलेगी और फलेगी।

सांसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान तथा उनके सांक्षिप्त नामोद्देश के सम्बन्ध में संयुक्त समिति की रिपोर्ट

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): मैं संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान तथा उनके संक्षित नामोद्देश के सम्बन्ध में संयुक्त समिति की रिपोर्ट, सदन में हुए वादविवाद टिप्पण तथा परिशिष्ट सहित प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गयी

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद आसीन थे]

निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधयेक— जारी

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं अपने भाषण को केवल वैदेशिक-कार्य तक सीमित रखूंगा जो कि इस धारा में सम्मिलित कर लिया गया है। मेरे विचार में इन शब्दों का शामिल किया जाना बिलकुल निरर्थक, अनावश्यक तथा असंगत है। हमारे प्रजातंत्र को स्थापित हुए अभी अधिक दिन नहीं हुए हैं। हमारी वैदेशिक नीति भी अभी पूर्ण रूप से ढांचे में ढल नहीं सकी है। जब वैदेशिक नीति ही दृढ़ नहीं हो सकी है तो हो सकता है लोग कुछ ऐसे विचार प्रकट करें जो हमारी सरकारी नीति के विरुद्ध हों। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रगट करने की छूट है। चाहे वह वैदेशिक नीति के

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

सम्बन्ध में हों या गृह नीति के सम्बन्ध में । यदि आप "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध" शब्दों को निवारक निरोध अधिनियम में शामिल कर लेते हैं तो इसका यह अर्थ हुआ कि आप जनता के हृदय में यह भावना बैठा देना चाहते ह कि वैदेशिक–कार्य के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करना अपराध है ।

आप यह कैसे कह सकते हैं कि वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में प्रगट किये गये अमुक अमुक विचार खतरनाक है तथा अमुक अमुक नहीं। इस बात का निर्णय कौन कर सकता है ? यदि आप यह भार साधारण जिला मजिस्ट्रेटों पर डालते हैं तो यह कहां तक उचित होगा । साधारण मजिस्ट्रेट से इस बात पर निर्णय करवाना कि वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में प्रगट किये गये अमुक अमुक विचार ठीक हैं अथवा नहीं बिल्कुल अनुचित होगा । उसे इस प्रकार के विचारों को प्रगट करने पर नजरबन्द कर लेने का अधिकार देना कहां तक उचित है ? यदि आप उक्त शब्दों को अधिनियम में से निकाल दें तो कुछ सीमा तक यह ठीक हो सकता है अन्यथा यह बहुत ही भद्दा अधिनियम होगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : कुछ समय पूर्व मेरे मित्र श्री चाको ने यह कहा था कि सरकार दंड प्रक्रिया संहिता का भरोसा इसलिये नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंतर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा जा सकता है तथा ऐसा होता है कि अक्सर ऐसे लोग लुक छिप कर काम करने लगते हैं तथा पुलिस के हाथ नहीं आते । इसलिये सरकार को अन्य अधिकार दिये जायें । मेरा निवेदन है कि क्या हमारे न्यायालय अपनी मति गंवा बैठे हैं कि जब पुलिस यह कहती है कि वर्तमान परिस्थितियों में जमानत पर अभियुक्तों को न छोड़ा जाय तो भी वह छोड़ देते हैं । हां हो सकता है असाधारण परिस्थितियों में इन विधानों से काम न चले, किन्तु यह तो एक बिल्कुल अलग बात है । किन्तु आप तो साधारण परिस्थितियों में भी और अधिकारों की मांग कर रहे हैं । मेरे विचार में भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिये देश का सामान्य कानून बिल्कुल पर्याप्त है ।

दूसरी बात है विदेशों से सम्बन्ध । यदि अपने देश की वैदेशिक नीति की कटु आलोचना करने, यदि देश की वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में समय समय पर परिवर्तन करने के सुझाव रखने से हमारे सम्बन्ध विदेशों के साथ बिगड़ जाते हैं तथा निवारक निरोध अधिनियम की सहायता लेनी पड़ती है तो मेरे विचार में यह एक ऐसी परिस्थिति हैं जिसको अधिक दिनों तक सहन नहीं किया जा सकता है । यदि "भारत का सम्बन्ध अन्य विदेशी शक्तियों के साथ" शब्दों को निवारक निरोध अधिनियम में बने रहने दिया जाता है तो हो सकता है सरकार इस अधिनियम का प्रयोग इस प्रकार से करे जो इस देश की जनता के हितों के विरुद्ध हो ।

अंत में मैं जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस कमिश्नरों को इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले अधिकारों को लेता हूं । मेरे विचार में इस प्रकार के अधिकार केवल केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के गृह-कार्य मंत्रियों को या और किसी

भी मंत्री को दिये जाने चाहियें। कम से कम नजरबंदी के आदेश केवल वे ही जारी कर सके। यह तो सर्वविदित है कि कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों को खुश रखने के लिये यह मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिशनर कुछ भी कर गुजर सकते हैं बात तो वास्तव में यह है कि वे अब भी पुराने ही ढंग पर चल रहे हैं। सत्तारूढ़ दल को ही अपना स्वामी समझते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों के हाथों में यह अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें। यह केवल केन्द्र या राज्य के गृह-कार्य मंत्रियों को ही दिये जाने चाहियें।

श्री माधव रेड्डी : मैं ऐमेण्डमेंट नं० १५, १७ और ४२ पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अब तक इस बिल पर कई लोगों ने बहस की। कई प्रकार के आरग्यूमेंट्स (तर्क) और काउन्टर आरग्यूमेंट्स (वितर्क) पेश किये गये। मैं उन सब को दोहरा कर हाउस का समय नहीं लेना चाहता। मैं इन ऐमेण्डमेंट्स पर एक दूसरे ही पहलू से अपने विचार प्रकट करूंगा।

सवाल यह है कि इस बिल का जो उद्देश्य था जिस मकसद के लिये यह कानून बना किस हद तक वह मकसद पूरा हुआ ? किसी आनरेबुल मेम्बर ने इस पर रोशनी नहीं डाली। तीन साल का तजुर्बा हमारे सामने है। जब कभी मुझे मि० ए० के० गोपालन वर्सस स्टेट का जो मशहूर केस है वह याद आता है तो मैं सोचने लगता हूं कि अगर इस बिल ने और कुछ नहीं किया तो कम से कम इतना तो जरूर किया कि कुछ लोगों को खामख्वाह प्रामिनेण्ट (प्रमुख) बनाया। मैं इस मौके पर मि० ए० के० गोपालन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे इस बात का हक नहीं है कि मैं किसी आनरेबुल मेम्बर के बारे में, उन की सलाहियत या उन की शोहरत के बारे में कुछ रिमार्क करूं, मगर मैं अपने बारे में सोचता हूं कि शायद इसी तरह एक रेगुलेशन का शिकार न हुआ होता तो इतनी आसानी से मैं यहां बैठा हुआ न होता।

इस बिल के बारे में आनरेबुल होम मिनिस्टर ने कहा कि इस की जरूरत इस लिये है कि देश में अभी गड़बड़ है। देश में कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे ग्रुप्स (वर्ग) हैं जो तशद्दुद पर तुले हुये हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्डर ग्राउण्ड हैं जिन के पास अनलाइसेन्स्ड आर्म्स (बगैर लाइसैन्स के हथियार) हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो अंडर ग्राउंड लोग हैं जिन के पास आर्म्स हैं, जिन को पकड़ने में पुलिस अब तक नाकामयाब रही, उन को पकड़ने में यह बिल कहां तक मदद कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कहां तक इस कानून का मकसद पूरा हुआ। इस कानून का सब से ज्यादा इस्तेमाल तैलंगाना में हुआ जहां से कि मैं आता हूं। और मेरा यह विश्वास है कि अगर तैलंगना में इस कानून का इस हद तक इस्तेमाल न हुआ होता तो वहां के हालात आज मुख्तलिफ होते। मुझे मालूम है कि कई लोग जो डिटेन (नजरबन्द) किये गये उन पर तरह तरह के चार्जेज (आरोप) थे. उन्होंने तरह तरह के क्राइम्स (अपराध) किये थे, और उन्हें प्रासिक्यूट (मुकदमा चलाया) किया जा सकता था। मगर उन को प्रासिक्यूट नहीं किया गया। सब को मालूम था कि उन्होंने डाके डाले और कत्ल किये लेकिन उन को प्रासिक्यूट नहीं किया गया। मामूली क्रिमिनल ला (दंड विधान) का इस्तेमाल नहीं किया गया, उन को डिटेन किया गया। उन को प्रासिक्यूट इस लिये नहीं किया गया कि अगर ऐसा किया जाता तो उन के खिलाफ मुकदमा लाना पड़ता,

[श्री माधव रेड्डी]

मेहनत करनी पड़ती, मुकदमा बनाना पड़ता, शहादत फ़राहम करनी पड़ती। पुलिस ने सोचा कि यह सब कुछ करने की क्या जरूरत है, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट मौजूद है। इन्सान में शार्ट कट ढूंढने की फ़ितरत है। चुनांचे प्रासीक्यूशन नहीं किया गया, डिटेंशन किया गया। इस का नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि मामूली क्रिमिनल्स को हीरोज बनाया गया। अगर कोई किसान पकड़ा जाता था तो ऐलान किया जाता था कि नोटोरियस कम्युनिस्ट (नामी साम्यवादी) पकड़ा गया है। यह तजरबे की बात है कि जब किसी क्रिमिनल को ऐक्स्ट्रा जुडीशियल (व्यवहारातिरिक्त) तरीक़े से डील (व्यवहार) किया जाता है तो उस की इज्जत बढ़ जाती है। उस का मर्तबा बढ़ जाता है। हर क्रिमिनल, जिस का क्राइम किसी अदालत में साबित नहीं किया जाता जिस को अदालत से सज़ा नहीं दिलाई जाती बल्कि जिस को डिटेन किया जाता है, वह नासमझ अवाम और नौजवानों का ऐडमिशन (विश्वास) हासिल कर लेता है। इस लिए मैं हरगिज़ यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिस मकसद के लिए यह बिल बनाया जा रहा है इस से मकसद पूरा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां कहीं प्रासीक्युशन की गुंजाइश हो और जहां कहीं मामूली क्रिमिनल ला से काम चल सकता हो वहां इस कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहां कई आरग्युमेंट्स दिए गए कि मामूली क्रिमिनल ला से काम नहीं चलता। मामूली क्रिमिनल ला से इसलिए काम नहीं चलता कि मामूली क्रिमिनल ला में पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है, मुकदमा बनाना पड़ता है, और ईमानदारी से शुरू से आखिर तक मुकदमा चलाना पड़ता है। अगर किसी स्टेज में प्रासीक्यूटिंग इंसपेक्टर या सब-इंसपेक्टर से गलती हो जाती है तो मुकदमा छूट जाता है। इसी वजह से मुकदमे अक्सर कामयाब नहीं होते और मुलजिम छूट जाते हैं और नतीजा निकाला जाता है कि क्रिमिनल ला से काम नहीं चलता। चुनांचे प्रिवेण्टिव डिटेन्शन एक्ट चाहिए। लेकिन मैं तो इस को हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आप के क्रिमिनल ला में डिफैक्ट (दोष) हैं तो उन को दूर कीलिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब परसों श्री एन० वी० गाडगिल ने यह कहा कि मेरे ग्रुप को तो इस तरह के रिमार्क करने की आदत है। अगर क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल आता तो भी वह ऐसे ही विरोध करते। मुझे यह सुन कर बड़ा अफसोस हुआ। हम यहां महज़ अपोज़ीशन (विरोध करने के लिए) के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आप के क्रिमिनल ला में डिफेक्ट हैं तो उन को दूर कोजिए, अगर इंडियन एवीडेंस एक्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में डिफेक्ट्स हैं तो उन को दूर कीजिए। हम को कोई ऐतराज नहीं होगी।

अमेंडमेंट ४२ की भी मैं ताईद करता हूं। मैं मानता हूं कि इस कानून का बड़ी हद तक मिसयूज़ (दुरुपयोग) हुआ है। यह समझा जाता है कि डिटेन करने वाली अथारिटी (प्राधिकारी) कलक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट है। हमारा तो यह तजुरबा है कि हमारे इलाके में तो डिटेनिंग आथारिटी (नजरबन्द करने वाला अधिकारी) कलक्टर या सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट नहीं होता बल्कि असली मानों में डिटेनिंग आथारिटी हमारे ख्याल में तो सी० आई० डी

का जमादार या पुलिस का सब-इंसपेक्टर होता है । इस लिए इस कानून का काफी हद तक मिसयूज हुआ है और आयन्दा भी होगा । इस की कोई गारंटी इस बिल में नहीं है कि इस का ऐसा मिसयूज़ नहीं होगा । मैं समझता हूं कि जरूर इस का मिसयूज़ होगा । मेरे इलाके से कई पिटीशन्स (याचनाएं) इस हाउस को दिए गए जिन को मैं ने पेश किया और उन का एक पेपर इस बिल के साथ सरकुलेट (प्रचालित) हुआ था । उस में उन्होंने कहा था कि इस कानून का नाजायज इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से उन के ऊपर काफ़ी मज़ाजिम हुए, उन की रोजी छीन ली गई, उन की खेती उजड़ गई और वह सताए गये । अब भी वह लोग डिटेंशन में हैं । मेरे इलाके में डेढ़ साल के अन्दर कोई चार सौ लोग डिटेन किए गए । उन में से ३५० लोग छूटे हैं अभी ५० आदमी डिटेंशन में हैं । मैं ने उन में से हर एक के ग्राउण्ड्स आफ डिटेंशन (नजरबन्दी के आधार) को स्टडी (अध्ययन) किया । मैं ने यह जानने की कोशिश की कि यह कहां तक जायज़ हैं । मैं ने देखा कि हर एक डिटेंशन ग्राउण्ड में लिखा गया है कि उन का जुर्म यह है कि उन्हों ने कम्युनिस्टों को चन्दा दिया । वह लोग मामूली किसान थे । रात में कम्यूनिस्ट आ कर उन की छाती पर बन्दूक रखते थे । ऐसी हालत में अगर वह न देते तो क्या करते ? आप भी अगर उस हालत में होते तो आप भी जरूर देते । मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि खुशी से तेलंगाना में किसी किसान ने कम्युनिस्टों को चन्दा नहीं दिया, न खाना दिया और न वोट दिया....

एक माननीय सदस्य : ग़लत ।

श्री माधव रेड्डी : हम साबित करने को तैयार हैं । चेलेंज (चुनौती) करो ।

मैं कहता हूं कि तैलंगाना के किसानों ने पुलिस से मजबूर हो कर, सरकार से मायूस हो कर कम्युनिस्टों से अमन खरीदने की कोशिश की, कभी पैसा दे कर, कभी शेल्टर (आश्रय) दे कर, कभी खाना दे कर और कभी वोट दे कर । उन्होंने तीन साल तक कम्युनिस्टों से अमन खरीदने की कोशिश की मगर तैलंगाने में जिस अमन के लिये हम मुद्दत से तरस रहे हैं वह आज तक हमें नसीब नहीं हुई है ।

इस के बाद कई दफ़ा यहां तैलंगाना के बारे में जिक्र आया । कांग्रेस बैंचेज की तरफ़ से और इधर से भी गलत तरीक़े से तैलंगाना की तस्वीर पेश की गई । अफ़सोस है कि डाक्टर जयसूर्य आज यहां नहीं हैं । उन्होंने पिक्चर की एक साइड को पेश किया । मैं उस पिक्चर का दूसरा साइड भी बता सकता हूं जो कि उस से भी ज्यादा भयानक है । लेकिन मैं तफ़सील में नहीं जाना चाहता । मुझे पहले बोलने का मौक़ा नहीं मिला । इस वक्त बोलने का स्कोप (क्षेत्र) महदूद है । इसलिये मैं तफ़सील में नहीं जाना चाहता । लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर इस क़ानून का इस तरह इस्तेमाल न होता तो इतनी गड़बड़ी नहीं होती । खुद अपने गांव की बात मैं बताता हूं । मेरे गांव से ६ लोग डिटेन हुये । यह ६ महीने की बात है । अभी उन में से कुछ लोग डिटेन्शन में हैं । वह अभी छूटे नहीं हैं । उन में दो बूढ़ी औरतें थीं । एक ६५ साल की थी । रात में कम्युनिस्टों ने आ कर उस की गरदन पर छुरी रखी और कहा कि चन्दा दो । तो उस बूढ़ी औरत ने पांच सौ रुपया जो कि उस ने पैसा पैसा कर के अपनी छोटी लड़की की शादी के लिए जोड़ा था दे दिया । पुलिस को पता लगा तो उस को डिटेन किया गया । उस को जेल में बन्द कर दिया गया;

[श्री माधव रेड्डी]

६ महीने तक वह बूढ़ी औरत जेल में बन्द रही । इस के बाद कई रिप्रैजेन्टेशन (अभ्यावेदन) करने पर छोड़ी गई, वह भी पैरोल पर । वह अभी छूटी नहीं है, पैरोल पर है । मैं आनरेबुल होम मिनिस्टर से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या वाक़ई इस बूढ़ी औरत से स्टेट की सिक्योरिटी (सुरक्षा) को खतरा था । क्या होम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि तैलंगाना के जो किसान जेलों में हैं उन से स्टेट की सिक्योरिटी को वाक़ई खतरा है । क्या यह जो हमारे बगल में बैठे हुये साथी हैं इन से ज्यादा खतरनाक हैं वो जो जेलों में बन्द हैं ? सरकार की लाजिक (तर्क) क्या है ?

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब आनरेबुल होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इस हाउस में यह दुहराया कि कम्युनिस्टों को जिन्होंने तरह तरह के क्राइम किये थे और जिन को डिटेन किया गया था उन को हम ने छोड़ कर चुनावों में हिस्सा लेने का मौका दिया और इस तरह अपनी सच्ची जम्हूरियत परस्ती का सबूत पेश किया । दुनिया के किसी और देश में ऐसा नहीं हुआ । बार बार इस बात को दुहराया गया । मगर मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं इस दलील को मानने के लिये तैयार नहीं हूं । आप ने कम्युनिस्ट्स को इस लिये छोड़ा कि आप लेफ्ट वोटों को डिवाइड (विभाजित) करना चाहते थे । सोशलिस्ट और दूसरी जम्हूरी जमाअतों से आप को डर पैदा हो गया था । गवर्नमेंट ने कम्युनिस्टों से कोई खतरा इसलिये महसूस नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि उन को आसानी से कुचला जा सकता है । क्योंकि कम्युनिस्ट उनके डेमोक्रेटिक राइवल्स (प्रजातंत्रीय विरोधी) नहीं हैं । मैं इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि मैं इस दलील को मानने के लिये तैयार नहीं हूं । आप ने अपनी इस हरकत से जम्हूरियत की कोई सेवा नहीं बल्कि दुश्मनी की, पता नहीं आप कैसी जम्हूरियत इस देश में लाना चाहते हैं ।

इस बिल को पेश करते हुए आनरेबुल होम मिनिस्टर ने बड़े झिझकते हुये कहा कि यह कानून तो किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह तो महज उन इंडिविजुएल्स (व्यक्तियों) के खिलाफ है जिन से कि स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा होगा और जिन की ऐक्टिविटीज (कार्यवाही) से अमन में खतरा पड़ने का अंदेशा होगा । मगर मैं उन से अर्ज करूंगा कि अगर स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा होगा तो वह इंडिविजुएल्स से नहीं होगा, दुनिया की किसी तारीख में इस की मिसाल नहीं मिलती कि किसी इंडिविजुएल ने किसी स्टेट की सिक्योरिटी से लिये खतरा पैदा किया हो, खतरा जब होगा तब ऐसे ग्रुप्स और पार्टीज से होगा जो तशद्दुद के बल पर हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करती हैं और अपनी डिक्टेटरी कायम करना चाहती हैं । मैं हाउस का और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि सारे एशिया में जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने परसों कहा, हालांकि मैं उन की सारी बातों से मुत्तफिक नहीं हूं, कि सारे एशिया में न चीन है, न जापान है और न ही पाकिस्तान है, बल्कि हिन्दुस्तान ही अकेला एक ऐसा देश है कि जहां के लोगों ने मुद्दतों की कुरबानी के बाद इंसानियत और जम्हूरियत और आजादी का परचम इस देश में बुलन्द किया कहीं

ऐसा न हो कि वही जनता जिहालत, भूख और गरीबी से तंग आ कर इस परचम को अपने ही हाथों से उतार कर फेंक दे। मैं इन अमेंडमेंट्स की ताईद करते हुये अपनी स्पीच खत्म करता हूं।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): आज यहां पर मुझे जो बोलने का मौका दिया गया, उस के लिये मैं धन्यवाद देता हूं। यह जो बिल यहां हाउस के सामने पेश है और कई पार्टियों के लोगों ने उस पर भाषण दिये हैं आप जानते हैं कि हमारे इस देश में क़रीब करीब पांच छै करोड़ हरिजन मेरे दलित जाति के भाई हैं। मुझे इस बिल के बारे में कोई खास विरोध करना नहीं है और उस कांस्टीट्यूशन (संविधान) के जिस में कई बातें हमारे देश के लिये लिखी हैं और जिस को हमारे नेता डाक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया है, खिलाफ़ मेरा जाने का विचार नहीं था। लेकिन मुझे डर है कि मुझे उस के विरोध में कुछ कहना अवश्य ही पड़ेगा क्योंकि आज के दिन अछूतों के साथ न्याय नहीं होता है, देहातों में उन के साथ मारपीट की जाती है और पब्लिक सेफ़्टी के लिये जो प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट है, उस का उन के खिलाफ़ इस्तेमाल होता है और उस के नाम पर हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है। मैं होम मिनिस्टर साहब का ध्यान इस की तरफ दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह हमारी हालत सुधारने की ओर ध्यान दें और ऐसा प्रबन्ध करें ताकि हमें न सताया जाय। यह ठीक है कि आप का उद्देश्य इस ऐक्ट को इंडिविजुएल्स पर इस्तेमाल करना है या किसी पार्टी विशेष के खिलाफ़ भी हो सकता है लेकिन हमें इस कानून से इसलिये डर लगता है कि हमारे मित्र भी हैं तो दुश्मन भी अनेक हैं और हमें भय है कि हमें सवर्ण जातियों द्वारा इस कानून की आड़ ले कर सताया न जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो नित्य नये नये पार्टीज के लीडर्स (नेता) बनते जाते हैं, वह हम पिछड़ी हुई हरिजन जातियों के लिये क्या कर रहे हैं, वह पार्टीज व उन के वह नेता हमारे लिये क्या करना चाहते हैं। यहां इस हाउस में ऐसी कितनी पार्टीज व लीडर्स मौजूद हैं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी (साम्यवादी दल) के भाइयों से पूछना चाहता हूं जो इतना सब बोलते हैं और चिल्लाते हैं कि अब हम दलितवर्ग की दशा सुधारने के लिये क्या करना चाहते हैं, लेकिन उन के पास भी अछूत जाति के लिये कोई प्रोग्राम नहीं है। इन्हीं हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने बम्बई में गत चुनाव में अछूत जाति के सर्वमान्य नेता डाक्टर अम्बेडकर के विरुद्ध अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उन को चुनाव में गिराने की कोशिश की, और वह अभाग्यवश हार गये। मैं पूछता हूं कि आप हमारे किस प्रकार के दोस्त हैं। यह ठीक है कि हमारा कांग्रेस से फंडामेन्टल डिफ़रेंस आफ़ ओपीनियन (मूल मतभेद) है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई प्रोग्राम तो दलितों के उद्धार के लिये है। यह दूसरी बात है कि वह उस प्रोग्राम को कहां तक चला रही है हम उस के लिये उस से झगड़ा करेंगे, लेकिन आप जो यहां इतनी पार्टीज के लोग बैठ कर बोलते हो, मैं आप सब से पूछना चाहता हूं कि आप हमारे लिये क्या करोगे और क्या कर रहे हो?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य विधेयक पर बोलें इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि विधेयक को साम्प्रदायिकतावादी के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा।

श्री पी० एन० राजभोज : यह तो बैक ग्राउण्ड (पृष्ठभूमि) में बयान कर रहा हूं, यहां कई स्पीकर बोलते हैं, मुझे बहुत कम समय मिल पाता है। अब जो यह अमेंडमेंट्स हैं, मैं उन पर अपनी तकरीर के दौरान में आजाऊगा, इसलिये मैं आप की इजाजत से बताऊ कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे गुण्डा ऐक्ट के मातहत जबलपुर जेल में गिरफ्तार कर के दो महीने रक्खा, मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया गया कि मैं रजाकारों की मदद करता था, लेकिन मैं बतलाऊं कि यह चार्ज कतई एकदम गलत है और मैं ने उन की कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टे रजाकारों के खिलाफ़ मैं ने आन्दोलन किया है। लेकिन मुझे दो महीनों तक गिरफ्तार रक्खा, लेकिन मैं बतलाऊं कि अगर अभी कोई दूसरी पार्टी का आदमी कोई मूवमेंट (आन्दोलन) करता है, तो उस को सिर्फ़ सात, आठ रोज़ की सज़ा हो जायेगी। मुझे लखनऊ में दफ़ा १४४ के तोड़ने पर ६ महीने की सज़ा दी गयी, लेकिन यही काम अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग करते हैं तो उनको ८-१० दिन की सज़ा दी जाती है, तो इस प्रकार की भेदभाव की नीति हम अछूत जाति वालों के साथ बर्ती जाती है और मुझे डर है कि इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट के जरिये हमारे ऊपर सख्ती होगी और ऊंची जाति वालों द्वारा अन्याय होगा। हमारी इस देश में क़रीब पांच छै करोड़ की आबादी है, हमारी आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारने के लिये सवर्ण हिन्दुओं को हमारी मदद करनी चाहिये। हम कोई देश के दुश्मन नहीं हैं, हम इस देश में बसने वाले हैं और इस को छोड़ कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, इस के अलावा मैं आप को बतलाऊं कि मैं कम्युनिस्टों से साथ भी अभी तक नहीं हूं, लेकिन अगर आप इस प्रीवेन्टिव ऐक्ट के जरिये दूसरी पार्टियों को कुचलेंगे, दबायेंगे तो मैं समझता हूं कि उस रिप्रैशन (दमन) का असर उलटा ही होगा और जैसा कि हम सब लोगों का तजुर्बा है वह पार्टियां ताकत पकड़ती जायेंगी। मैं नहीं समझता कि आप कम से कम यह चाहते हैं कि ऐसी ख़तरनाक पार्टियां ताक़त पायें और आगे बढ़ें। मैं आप को एक मिसाल दे कर बताऊंगा कि किस प्रकार सवर्ण जाति वाले हमारे साथ बर्ताव करते हैं। रांची में एक सवर्ण जाति की लड़की के साथ एक अछूत जाति के लड़के का प्रेम हो गया और उन की आपस में शादी होने वाली थी, रांची से वह आदमी जमशेदपुर आ गया और किन्हीं हमारे हिन्दू माइंडेड हिन्दू सभा माइंडेड लोगों ने उस को एक मास्टर के पास ठहराया और उस को डराया धमकाया कि अरे अछूत जाति का हो कर दूसरी हिन्दू जाति के साथ शादी करना चाहता है, ऐसा करने से धर्म भ्रष्ट हो जायगा, बड़ा हाहाकार मच जायगा और उस बेचारे को डरा धमका कर भगा दिया गया। वह लोग जिन्होंने उसे इस तरह डराया और मारा पीटा वह चाहे हिन्दू सभा के रहे हों या राम राज्य परिषद् के वह सब एक ही बात है, और वह एक ही मां के दो बच्चे हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य कुछ बिलकुल ही भिन्न विषयों पर बोल रहे हैं। यदि वह इसी प्रकार बोलते रहेंगे तो लाचार हो कर मुझे उन्हें बैठ जाने के लिए कहना पड़ेगा।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं आप को बतला रहा था कि किस प्रकार सवर्ण जाति वाले हिन्दू हमें दबाते हैं और हमारे साथ अन्याय करते हैं। मेरे पास थोड़े दिन बाद पत्र आया जिस से मालूम हुआ कि वह

लड़का जिस मास्टर के वहां ठहरा हुआ था, उस को और तीन मास्टरों को स्कूल में से निकाल दिया गया, तो इस तरह की आपत्ति हमारे लोगों पर आती है। हमारे मित्र भी हैं और दुश्मन भी, इस लिये मुझे डर लगता है कि कहीं इस प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट का प्रयोग हमारे विरुद्ध न किया जाय। सिद्धान्ततः तो मैं इस ऐक्ट के ही विरुद्ध हूं और मैं चाहता हूं कि यह देश में लागू नहीं होना चाहिये। लेकिन क्या किया जाय, मजबूरी है सरकार के सामने क्योंकि देश में ऐसे लोग हैं और ग्रुप्स हैं जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम लिये फिरते हैं, उन का सामना करने के लिये तो सरकार इस की आवश्यकताओं का अनुभव करती है। मेरी होम मिनिस्टर से प्रार्थना है कि वह हमारी जाति की दशा की तरफ ध्यान दें और यह जो डी० सी और पुलिस के कर्मचारी द्वारा हम लोगों पर जुल्म व अत्याचार किये जाते हैं, उन को रोकने की कोशिश की जाय। मैं कई बातों के विषय में बोलना चाहता था, लेकिन इस समय मेरे पास वक्त नहीं है। और मेरी तो बिल्कुल इस पर बोलने की इच्छा ही नहीं थी क्योंकि यह कांस्टिट्यूशन जिसके अधीन यह क़ानून बन रहा है हमारे डाक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया है, लेकिन सोचा कि आपको अपनी दुर्दशा की तरफ आकर्षिक करूं ताकि आप हमारी अवस्था सुधारने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। मेरे विचार में माननीय सदस्य अपना विषय छोड़ निवारक निरोध अधिनियम पर नहीं बोल सकते हैं। अतः मैं श्री वर्मा को बुलाता हूं।

श्री रामजी वर्मा : विरोधी पक्ष के बहुत विरोध करने के बाद भी बहुमत के बल पर आखिर हमारे गृह मंत्री जी इस प्रीवेन्टिव डिटेन्शन बिल (निवारक निरोध विधेयक) को पास करा लेना चाहते हैं। लेकिन विरोधी पक्ष ने जब यह देखा कि हम बिल को वापस नहीं करा सकते तो हमारे बहुत से साथियों ने उस की धाराओं में संशोधन दे कर उस की ताक़त को कम करना चाहा। लेकिन मेरा ऐमेण्डमेंट (संशोधन) जो है बिल्कुल इस के विपरीत है। मैं यह नहीं चाहता। यदि यह बिल खामख्वाह के लिये पास हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा और तगड़ा सख्त और तेज़ हो। इसलिये मैं ने यह ऐमेण्डमेंट दिया है कि जहां आप ने डिटेन (नजरबन्द) करने के लिए 'एनी पर्सन' (कोई व्यक्ति) लिखा है उस में 'इन्क्लुडिंग ईवन मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स एटसेट्रा' (यहां तक कि मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को भी) लिख लिया जाय। शायद आप कहेंगे कि 'एनी पर्सन' में तो यह है ही लेकिन नहीं, इस का कारण है। और इस लिये मैं इस ऐमेण्डमेंट को पेश कर रहा हूं। आप के इस के स्वीकार कर लेने के जितने कारण बतलाये हैं वह और मजबूत हो जायेंगे। लोग यह समझेंगे कि इस मर्तबा पार्लियामेंट में हमारे माननीय काटजू साहब ने एक ऐसा क़ानून बनाया है कि जिस से न सिर्फ़ जनता को बल्कि मिनिस्टर्स और आफ़िसर्स तक को भी इस बिल के मातहत जेल भेजा जा सकता है। जब आप कहते हैं कि हम पब्लिक की रक्षा कम्यूनल फ़ मेंज (साम्प्रदायिक शक्तियों) हिंसावादी ताक़तों से और ब्लैक मार्केटर्स से करना चाहते हैं, उस को ज्यादा जनरल बना दीजिये और उस में सब लोग होंगे तो वाक़ई जो आप का मक़सद इस बिल के पास करने का है पूरा हो जायगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे

[श्री रामजी वर्मा]

मंजूर कर लें। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि हमारे मंत्री जी इस को फ़ौरन ही स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो इस के दूसरे ग्राउण्ड भी हैं जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

आप कहते हैं कि जनता की रक्षा के लिये, हिंसावादी ताक़तों से हमें बचाने के लिये, हमारी जान व माल की रक्षा के लिये यह कानून बनाते हैं, और इसीलिये सभी पुराने क़ानूनों के बावजूद आप को इस प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। और आप कहते हैं कि यह पास होना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए।]

तो मैं आप से कह रहा हूं कि जहां हिंसावादी ताक़तें जनता को मार रही हैं, वहां हमारी गवर्नमेन्ट भी लोगों को मार रही है, देश में लोग मर रहे हैं। मैं सारे देश की बात न कह कर उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों की बात कहता हूं जहां का कि मैं रहने वाला हूं। वहीं का उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। देवरिया भी एक ज़िला है। वहां भुखमरी है, लोग भूखों मर रहे हैं यह आप ने अखबारों में पढ़ा होगा। क्यों मर रहे हैं यह मैं दो मिनट में आप के सामने रखना चाहता हूं। वहां की भुखमरी क.....

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें संशोधन के सम्बन्ध में बोलना चाहिए।

श्री रामजी वर्मा : वहां की भुखमरी की हालत को हमारे कांग्रेसी एम० पीज० साहबान ने रखा, एम० एल० एज० साहबान ने रखा और यह कहा कि हम स्टीफ़ा दे देंगे। इस पर उन पर अनुशासन की तलवार लटकाई गई। "सोशलिस्ट पार्टी ने लोगों के सामने यह रक्खा कि भूखों मरने से तो अच्छा है कि लोग सत्याग्रह कर के जेल जाऐं," यह अखबारों में हैडिंग निकली। हमारे खाद्य मंत्री जी ने हमें बुलाया और कहा कि तुम्हारे देवरिया में यह क्या हालत है ? मैं ने कहा कि आप ने चूंकि वहां पर व्यवस्था नहीं की है इसलिए वहां भूखों मर रहे हैं। उन्होंने हम को यहां से भेजा, मैं गया और सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह को स्थगित कराया। खाद्य मंत्री ने ८ जुलाई को प्रोग्राम बनाया कि वह खुद देवरिया जायेंगे और वहां की हालत को देखेंगे। खाद्य मन्त्री यहां से गए। लखनऊ तक पहुंचे, लेकिन लखनऊ की सरकार ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वह देवरिया जायें। इसलिए कह दिया गया कि देवरिया में इतना पानी बरसा है कि आपकी मोटरें जा ही नहीं सकतीं। लाचार होकर उन्हें वापस आना पड़ा। लखनऊ की सरकार ने अब यह मान लिया है कि देवरिया में भुखमरी है और वहां पर जमींदारी ऐबालिशन (जमींदारी उन्मूलन) स्थगित कर दिया गया है, इसलिए कि वहां की हालत नाजुक हो गई है। जनता के सब लोग भूखे मर रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : भूखों मर रहे हैं या नहीं इससे यहां क्या मतलब ?

श्री रामजी वर्मा : मैं इसको छोड़ता हूं, कोई बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस के बारे में और कुछ बोलने से मैं बैठा दूंगा।

श्री रामजी वर्मा : जो कुछ वहां की स्थिति है उसको मैं ने खाद्य मन्त्री को बत-

लाया और सरकार कबूल कर ही है कि वहां की हालत खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। उन्हें अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। यह तो स्पष्ट ही है कि उन्हें इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना है। वह मुख्य विषय के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। मैं उन्हें और आगे बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस क्लाज पर काफी बहस हो चुकी है और हम इस क्लाज पर चन्द एक घंटे जाया कर चुके हैं, और मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि जहां बहस शुरू होने पर यह मामला था, उस से हम इस सारी बहस के बाद आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कई वजूहात बताई थीं कि क्यों जिला मजिस्ट्रेट को इस क़िस्म के अखित्यारात होने चाहियें उसके बारे में और बहुत सी मिसालें तो दी गयीं, लेकिन इस वजह का जो मिनिस्टर साहब ने फरमाई थी, किसी मेम्बर ने जवाब नहीं दिया कि बहुत से वाक्यात अमल में आते हैं कि अगर फौरन आन दी स्पाट (उसी स्थान पर) अगर कोई जिला मजिस्ट्रेट एक्शन (कार्यवाही) न ले तो फिर बाद में उस में कोई एक्शन लेने से कोई फायदा नहीं होता। यह रीज़निंग और बहस कि जिला मजिस्ट्रेट सब जगह खराब होते और लोकली (स्थानीय) वह जो काम करते हैं वह इंसाफ नहीं करते हैं, अगर मैं एक मिनट के लिए उनकी इस बात को मान लूं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान का इंतजाम आगे आने वाले अर्से में कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। यह जिला मजिस्ट्रेट हर एक जिले के, जो कम से कम १० लाख के करीब आबादी के और इस से भी ज्यादा के हैं लोगों की डेस्टेनी (तकदीर) पर एक तरह से कंट्रोल करते हैं। यह बड़े ज़िम्मेदार अफसर होते हैं और अगर यह सारे जिला मजिस्ट्रेट ऐसे हों जैसा कि मेरे दोस्तों ने उनको बतलाया है, तो मैं नहीं जानता कि किस तरह यह सारा मामला ठीक होगा और देश का काम काज और प्रबन्ध ठीक तरह से चल पायगा। हमारे दोस्त केन्द्र के होम मिनिस्टर साहब और स्टेट्स के होम मिनिस्टर्स पर ऐतबार रखते हैं, मैं इसके लिए उन को मुबारकबाद देता हूं कि उन पर सारा हाउस ऐतबार करता है और दूसरे होम मिनिस्टर्स पर भी ऐतबार करता है लेकिन मुझे तो हैरानी होती है कि यह बीस होम मिनिस्टर किस तरह खुद सारे देश का सारा काम-काज चला सकते हैं, अकेले इन बीस मिनिस्टर्स के ज़रिये सारा काम होना नामुमकिन है यह तभी सम्भव हो सकता है कि जब देश में ऐसे आदमी पैदा हो जायें जिन पर आप विश्वास कर सकें। मैं समझता हूं कि आप की इस तरह की भावना रखते हुए किसी मुल्क का इंतजाम इस तरह से चलना गैरमुमकिन है आप का ख्याल कि सिवाय होम मिनिस्टर्स के कोई दूसरा शख्स ईमानदार नहीं है जो कि इस तरह के मामले में दखल दे सके और यह काम कर सके, मैं समझता हूं कि इस तरह देश का काम चलने वाला नहीं है, हमें अपने अफसरों पर और कर्मचारियों पर भरोसा करना है। अब तो नई तरमीम से यह सारी की सारी बहस खत्म हो चुकी है। पिछले ऐक्ट पर यह बहस हो सकती थी, अब होम मिनिस्टर स्टेट या होम मिनिस्टर साहब सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक ऐप्रूवल (मंजूरी) नहीं देंगे उस वक्त तक यह प्रीवेन्टिव डिटेंशन नहीं हो सकता। आज यह कहना कि होम मिनिस्टर दस्तखत करने के वास्ते तो ईमानदार हैं, और वही होम मिनिस्टर साहब ऐप्रूवल देने के वास्ते बेईमान हैं, मैं इसे हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं। अब जो तरमीम हम ने इस ऐक्ट में की है, मैं समझता हूं कि हमारी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उस तरमीम को पूरी तौर से ऐप्रीशियेट (समझा) नहीं किया गया । यह एक बड़ी और अहम तरमीम है इस के अलावा एक तरमीम हम ने यह भी की है कि पुराने फैक्ट्स (तथ्य) के ऊपर नया डिटेंशन नहीं हो सकता । यह तरमीम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उसी पैमाने की है इस को भी अच्छी तरह से मेरे दोस्तों ने ऐप्रीशियेट नहीं किया । अभी मेरे एक दोस्त फोरम आफ दी कांशेंस आफ दी होम मिनिस्टर (गृह मंत्री के विवेक)का ज़िक्र कर रहे थे जो हर एक स्टेट के प्रीवेन्टिव डिटेंशन के ऊपर मोहर लगा देंगे । स्टेट के होम मिनिस्टर ईमानदारी के साथ उस काम को नहीं करेंगे । मैं इस चीज को सही नहीं मानता । इस लिए हम को मानना चाहिए कि जहां तक इस अमूल के सवाल का ताल्लुक है, हमने यह एक बड़ी अहम तरमीम मंजूर की है और हम ने आखिरी फैसला ज़िला मजिस्ट्रेट पर नहीं छोड़ा है, बल्कि प्रविन्सेज (प्रांतों) के और सेंटर (केंद्र) के होम मिनिस्टर पर इस मामले में आखिरी फैसला करने का अधिकार छोड़ा है । यह इतनी बड़ी तरमीम है कि जिस के वास्ते हम को गवर्नमेंट को मुबारक बाद देना चाहिए कि उसने इस तरमीम को मंजूर कर लिया है । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि दरअसल इस सेक्शन (धारा) और इस कानून की जो असली मंशा थी उस को हमारे बहुत से दोस्तों ने नहीं समझा है । मुझे अफसोस होता है जब मैं बार बार इस हाऊस के अन्दर ऐसी मिसालें सुनता हूं कि फलां आदमी को यहाँ रक्खा गया, और उस के साथ यह किया गया तो मेरा ख्याल होता है कि दरअसल मेरे दोस्तों ने प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट का जो असली मकसद था और जिस उद्देश्य के लिए हमने उसे बनाया है उस को हमारे इन दोस्तों ने समझा नहीं है । फिर मेरे दोस्त कहते हैं कि जहां जुर्म होते हैं वहां पर यह उपाय किया जाना चाहिये और अभी तेलंगाना के मेरे दोस्त ने जो सब कुछ बताया, मैं उन को उन की स्पीच के लिए मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे मामलात में, जिन में वाकई कोई जुर्म ऐसे हुए हों, वहां पर यह ऐक्ट आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहियें । ऐसे मुजरिमों के बरखिलाफ हमारी पुलिस मौजूद है, मजिस्ट्रेट मौजूद हैं । उन को चाहिये कि वह ऐसे मुजरिमों को सजा दें । यह भी क्या मजाक है कि एक आदमी एक बुढ़िया के गले पर छुरी रख कर ज़बरदस्ती चन्दा वसूल करे और फिर उस आदमी से कुछ न कहा जाय और उल्टे बेचारी बुढ़िया को प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट में धर लिया जाय ।

जिन लोगों ने ऐसे काम किये, मेरे दोस्त ने ठीक किया कि होम मिनिस्टर साहब की खिदमत में उन वाकयात को ला दिया । दरअसल जिस औरत के साथ ऐसा हुआ वह बड़ा जुल्म है । लेकिन जिस शख्स ने यह बताया कि जो छुरी लगा कर रुपया लेने को तैयार हो, उसको प्रिवेण्टिव डिटेंशन ऐक्ट में रखा जाय, उसको सुन कर मुझे ताज्जुब होता है । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उस को तो कम से कम सात साल की सजा देनी चाहिये जो इस तरह के काम करता है । अगर हमारी पुलिस और गवर्नमेंट यह समझती है कि प्रिवेन्टिव डिटेंशन का इस्तेमाल ऐसी सूरत में होना चाहिये जहां कि जुर्म होते हों और वह साबित हो सकते हों तो वह मेरी राय में गलती करते हैं, इसी तरह से वह जज गलती करता है जो यह समझता है कि ऐसे केसेज में प्रिवेन्टिव डिटेंशन लगाना

जायज होगा । यह जो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का कानून बना उस के लिए हम ने कान्स्टिटुएंट ऐसेम्बली (संविधान-सभा) में फंडामेन्टल राइट (मूल अधिकार) करार दिया । मेरे दोस्तों ने पहले भी पूछा कि उसमें क्या फंडामेन्टल राइट है । आप एक कानून बनाते हैं कि एक आदमी को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में रक्खा जाय और उस को फंडामेन्टल राइट करार दिया जाय । जनाब वाला, मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का इस्तेमाल उन लोगों के वास्ते होना चाहिये जिन के खिलाफ कोई शहादत नहीं मिलती कि जुर्म किया या नहीं किया । ऐसे फेल में जो जुर्म के बराबर हैं लेकिन जिनका साबित करना मुश्किल है कि जुर्म है या नहीं, ऐसे फेल जो जुर्म की हद तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो स्टेट के खिलाफ प्रेजुडिशल (घातुक) हैं, जो पब्लिक आर्डर (सार्वजनिक व्यवस्था) और सिक्योरिटी आफ स्टेट (राज्य सुरक्षा) के वास्ते प्रेजुडिशल हैं, वह सब के सब फेल जो कानून के ज़द में नहीं आते वह भी इस के लिए काफी है कि यह कानून लागू किया जाय ताकि मुल्क में ला एण्ड आर्डर (शान्ति एवं व्यवस्था) रहे और सोसायटी (समाज) के इन्टरेस्ट (हित) को नुकसान न पहुँचे । मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि जो साहबान कहते हैं कि पब्लिक आर्डर को इस दफा से निकाल दो, वह सख्त गलती कर रहे हैं । क्या मतलब है इस चीज का कि इस कानून से पब्लिक आर्डर निकाल दो । यहां तीन दिन बहस होती रही है, मैंने सिवा पब्लिक आर्डर की मिसालों के और कोई चीज नहीं सुनी । किसी दोस्त ने ऐसी मिसाल नहीं बतलाई जिस के अन्दर फारेन रिलेशन्स (विदेशी सम-बन्ध) के सिलसिले में कोई गिरफ्तार हो गया हो । जब किसी शख्स ने कोई शिकायत की है हमेशा डिफेन्स आफ इंडिया (भारत की सुरक्षा) और सिक्योरिटी आफ स्टेट के ही सिलसिले में कहा है । आज यहां सौराष्ट्र और राजस्थान की दिल हिलाने वाली बातें मेरे दोस्तों ने बतलाई हैं । जब मैं श्री सारंगधर दास को, जो कि एक पार्टी के लीडर हैं, कहते हुए सुनता हूं हाउस में कि सौराष्ट्र और तैलंगाना में यह कानून मुफीद है, जब मैं डाक्टर मुखर्जी को कहते सुनता हूं, श्री एन० सी० चटर्जी को सुनता हूं कि क्यों आपने इस कानून को पहले नहीं लगाया, क्यों आप ने ऐसी कंडिशन्स होने दीं, तो मेरी समझ में आता है कि इस कानून की बड़ी सख्त जरूरत है, और जरूरत है, पब्लिक आर्डर की खातिर । बार बार अर्ज किया जाता है कि इमर्जेन्सी कंडिशन्स (आपात परिस्थितियां) के जमाने में जब प्रेजिडेन्ट इमर्जेन्सी डिक्लेयर (घोषित) करे, उस वक्त यह कानून लागू करना चाहिये, तब मैं सोचता हूं कि जो दोस्त ऐसी तजवीजें पेश करते हैं उन्होंने शायद हमारा कान्स्टिट्यूशन (संविधान) नहीं पढ़ा । इमर्जेन्सी की हालत वह हालत होगी जिस को देख कर लोग थर्रा उठेंगे । हम यह कानून इस लिये रखना चाहते हैं कि इमर्जेन्सी आने ही न पाये हमारे मुल्क में । जिस दिन इमर्जेन्सी होगी लोगों के होश गुम हो जायेंगे । मैं नहीं चाहता कि इमर्जेन्सी पैदा हो । उस के न आने देने के लिये ही यह कानून बनाया गया था । ऐसी सूरतों में, जुर्म की सूरतों के अन्दर नहीं बल्कि ऐसी सूरतों में जब कि किसी तरीके से मुल्क बद-अमनी की तरफ जाता हो, जिस से जुर्म होते हों, जिन से डिफेन्स आफ इंडिया खतरे में पड़ता हो, उन को रोकने के लिये हम ने दफा २२ बनाई थी, वर्ना दफा २१

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और २२ एक दूसरे की काम्प्लीमेन्टरी (पूरक) हैं। जिस वक्त जुर्म हों या न हों, लेकिन खतरा बढ़ता हो, हमारे देश की पब्लिक लाईफ खतरे में पड़ती हो, इस के वास्ते प्रिवेन्टिव डिटेंशन की दफा बनाई गई थी। लोग क्या करते हैं कि वह इस तरह के जुर्म करते हैं कि एक गरीब आदमी आ कर कोर्ट आफ ला (न्यायालय) में उनके खिलाफ दर्खवास्त नहीं दे सकता, कोर्ट आफ ला में कोई गवाही नहीं दे सकता, मुल्क के खिलाफ कान्स्पेसी (षड्यन्त्र) करता है, ऐसे शख्स को जुर्म करने के लिये इनसाइट (उकसाता) करता हो कि जिस के खिलाफ सुबूत न हो, लेकिन हमें दिखाई पड़ता हो कि अगर हम इन्तजाम नहीं करते तो बाद में नुकसान हो जायेगा और बदअमनी पैदा होगी तो ऐसे आदमियों के खिलाफ इस कानून को लागू करना चाहिये। कहा गया है कि इसे पार्टी के लिये न लागू किया जाय। इस में कोई शक नहीं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि पार्टीज के बर्खिलाफ इस का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। मेरे कुछ लायक दोस्तों ने कहा कि किस के खिलाफ करना चाहिये। डा० एन० सी० चटर्जी और दूसरे साथी फरमाते हैं कि किसी के खिलाफ न इस्तेमाल होता हो लेकिन कम्यूनिस्ट पार्टी के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना चाहिये, बल्कि इस से ज्यादा सख्त चीजें इस्तेमाल करनी चाहियें। मैं इस पर अपनी कोई राय नहीं देना चाहता। मैं तो यह चाहता हूं कि जहां तक इस की मंशा है यह इंडिविजुअल्स (व्यक्तियों) के खिलाफ इस्तेमाल हो, जो पब्लिक आर्डर के बर्खिलाफ हो उस के खिलाफ इस्तेमाल हो। मैं बतौर पार्टी के नहीं चाहता कि कम्यूनिस्ट पार्टी पर यह लगे। इस का तो मतलब यह है कि जब तक किसी का बिहेविअर (व्यवहार) ठीक हो गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करे क्योंकि इस में दर्ज यह है कि "हू एवर ऐक्ट्स प्रेजुडेशली"। मैं ने दफा तीन के बारे में भी ऐमेंडमेन्ट भेजे थे, लेकिन आज मैं ने जान बूझ कर पेश नहीं किये। "हू एवर ऐक्ट्स प्रेजुडिशली" में यह जरूरी नहीं जिस के खिलाफ कोई नुक्ताचीनी कर सके, अच्छा से अच्छा आदमी इस में आ सकता है और इस वास्ते मेरी ख्वाहिश थी कि हम इस को और दुरुस्त करते, लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट पर्मनेन्ट ला (स्थायी कानून) नहीं बनाना चाहती है। यह इस गवर्नमेन्ट की ही तारीफ है कि वह इस तरह का कोई पर्मनेन्ट ला नहीं बनना चाहती है, वर्ना जब कि कान्स्टिटुएंट ऐसेम्बली में हम लोग थे हम समझते थे कि डिटेंशन के लिये पर्मनेन्ट ला बनेगा। खैर, मैं इस झगड़े में नहीं जाना चाहता। अगर मौका मिला तो दूसरे मौकों पर मैं इस के मुताल्लिक अर्ज करूंगा कि किस लिये हम ने जरूरी समझा और किन खास हालात में यह डिटेंशन ला जरूरी चीज है।

मैं आप की खिदमत में निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि दरअसल यह प्रिवेन्टिव डिटेंशन को हम ने दफा २१ की काम्प्लीमेन्टरी बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पब्लिक आर्डर के वास्ते इस का इस्तेमाल न हो तो इस हिन्दुस्तान के अन्दर किस गर्ज के वास्ते यह इस्तेमाल हो सकता है। जनाबवाला को मालूम है कि मैं खुद इस हाउस में पाकिस्तान की तरफ जो हमारी गवर्नमेन्ट की पालिसी है उस का शाकी रहा हूं। रोज रोज गवर्नमेन्ट क्या करती रही है हम देख रहे हैं और मैं उस से मुतमैयन नहीं हूं। मेरे

लायक दोस्त मि० चैटर्जी और कितने ही और दोस्त इस बारे में गवर्नमेंट से पूरा इत्तफाक नहीं कर सकते लेकिन क्या गवर्नमेंट ने किसी को इस कानून के मातहत गिरफ्तार कर लिया है। इस के अन्दर उस के लिये रिज़र्व पावर (सुरक्षित अधिकार) हैं खास बातों में जिस में स्टेट गवर्नमेंट या होम मिनिस्टर यह ज़रूरी समझे। और वह बड़ी ज़िम्मेदारी से काम करेंगे इस लिये हम ने यह रिज़र्व पावर्स दी हुई हैं। हां, अगर आप इस के अल्फाज़ में कुछ तब्दीली चाहते तो हम सोचते यह तो एक या दो साल के लिये बनाया जा रहा है, आइन्दा की इमर्जेन्सी के वास्ते है, इस लिये इस के अन्दर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे लायक दोस्तों ने यह बहस की कि ज़िला मजिस्ट्रेट को इजाज़त न दी जाय, इस की बहस की कि इस में से पब्लिक आर्डर को निकाल दिया जाय। यह चीज़ मुनासिब नहीं है। यह चीज़ खास ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल होने के लिये है इस में इस तरह की नुक्ताचीनी करना जायज़ नहीं है। मैं बहुत अदब से हाउस के सामने अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो मिनिस्टर साहब की तजवीज़ है उसको पास कर दिया जाये।

डा० एस० पी० मुखर्जी : खण्ड ४ में प्रवर समिति ने पहले ही संशोधन कर दिया है। किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजी जायेगी तो वे कागज़ात या विवरण उसके साथ में क्यों नहीं भेजे जायेंगे जो ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रखे जाते हैं? केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी भी मामले में नज़रबन्दी का आदेश रद्द कर देने का अधिकार पहले ही से प्राप्त है। किन्तु जब उसके सामने पूरी सूचना नहीं रखी जाती है तो वह इस अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकेगी। प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में रखे गये खण्ड ४ से यह स्पष्ट है कि कुछ भेदभाव किया गया है अर्थात् जो तथ्य राज्य सरकार के समक्ष रखे गये हों उन्हें केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : बात केवल इतनी सी है कि राज्य सरकार जब केन्द्रीय सरकार के पास रिपोर्ट भेजेगी तो वह हर प्रकार के कागज़ात तो उसके साथ भेजेगी नहीं केवल वही कागज़ात भेजेगी जिनको वह आदेश के सम्बन्ध में आवश्यक समझती है। राज्य सरकार इस बात पर अवश्य विचार करेगी कि क्या आवश्यक है तथा क्या नहीं। भेद केवल इतना ही है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : फिर भी, केन्द्रीय सरकार के पास पूरी सूचना भेजने में क्या हानि है। इससे तो केन्द्रीय सरकार उस मामले को और भी अच्छी तरह समझ सकेगी। यहां उस के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या केन्द्रीय सरकार ही स्वयं उस मामले को अपने हाथ में ले सकती है। इसीलिए, मैंने माननीय गृह-कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है इस खण्ड की रूपरेखा। देखा जाये तो इस खण्ड के अन्तर्गत बहुत ही व्यापक अधिकार दिये गये हैं। रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, प्रदाय इत्यादि को बनाये रखना--ऐसी बातें हैं जिनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को अधिकारीगण गिरफ्तार कर सकते हैं। अब कोई संशोधन तो इस बारे में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, फिर भी, मेरा सरकार से यह निवेदन कि केन्द्रीय सरकार

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

कुछ इस प्रकार के मामले सामने रखे जिनके सम्बन्ध में इस अधिकार का प्रयोग किया जा सके। अक्सर लोगों को ऐसी बातें लेकर गिरफ़्तार कर लिया जाता है जिनके आधार पर उन्हें कभी गिरफ़्तार किया ही नहीं जा सकता है। इसके लिए मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि इन अधिकारों का प्रयोग ज़िला अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया जाता है। माननीय गृह-कार्य मंत्री यह कह सकते हैं कि नये विधेयक के अन्तर्गत अब यह अधिकार राज्य सरकारें प्रयोग में लायेंगी तथा धीरे धीरे इसके प्रयोग के सम्बन्ध में एकरूपता स्थापित हो जायेगी तथा ज़िला मजिस्ट्रेट अपनी मर्ज़ी के अनुसार इसका प्रयोग न कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि इससे कुछ सीमा तक बचाव हो जाता है। फिर भी मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में किसी न किसी प्रकार की केन्द्रीय नीति निर्धारित कर दे।

मैं आपके सामने अजमेर के श्री त्रिलोक चन्द गोपालदास का मामला रखता हूं। वह अब भी नज़रबन्द हैं। बात यह थी कि एक मुसलमान एक हिन्दू लड़की को बम्बई से भगा लाया था। इस पर विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें वह पकड़ लिये गये।

डा० काटजू: मैंने इस मामले का अध्ययन कर लिया है। परन्तु, मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या यह वांछनीय नहीं है कि जब कोई मामला सलाहकार बोर्ड को सौंप दिया गया हो, जैसा कि इस मामले में किया गया है, तो राज्य सरकार तथा नज़रबन्द दोनों के ही हितों में, उस पर इस समय बहस नहीं की जानी चाहिये?

डा० एस० पी० मुखर्जी: मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। फिर भी, अब स्थिति पहले से बहुत सुधर गई है। मेरा केवल इतना कहना है कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई केन्द्रीय नीति निर्धारित हो जानी चाहिये जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन मामलों के सम्बन्ध में इसका प्रयोग किया जा सकता है।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): वर्त्तमान खण्ड नज़रबन्दों के लिए ख़तरनाक है। श्रीमान्, आप देखेंगे कि जहां तक निवारक निरोध अधिनियम के प्रयोग किये जाने का सम्बन्ध है, उसका दुरुपयोग ही किया गया है। आप यह कैसे आशा करते हैं कि राज्य सरकारें इस अधिनियम के उपबन्धों का दुरुपयोग कर के उन के सम्बन्ध में कागज़ात भारत सरकार के पास भेज देंगी। अब इस नये खण्ड में इस बात का स्पष्टरूप से उल्लेख कर दिया गया है कि केवल उन्हीं तथ्यों को जिन के आधार पर आदेश जारी किया गया है तथा जो राज्य सरकार की राय में मामले से विशेष सम्बन्ध रखते हैं केन्द्रीय सरकार के पास भेजने की आवश्यकता है। अतः यह बात राज्य सरकारों पर ही छोड़ दी गई है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार इस बात का निर्णय करें कि भारत सरकार के पास कौन से तथ्य भेजे जाने चाहियें तथा कौन से नहीं। निवारक निरोध अधिनियम को जिस प्रकार से अब तक कार्यान्वित किया गया है उस से तो यही कहा जा सकता है कि नजरबन्दों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को समस्त तथ्य भेजे जाने की आशा करना बेकार है राज्य सरकारें उन

लोगों के सम्बन्ध में पूरी पूरी सूचनायें भारत सरकार को कैसे भेज सकती हैं जिन को उन्होंने केवल इस आधार पर गिरफ़्तार कर लिया है कि वे राज्य सरकार के किसी अधिकारी या मंत्री के विरुद्ध थे। यदि कागज़ों को भेजने इत्यादि का कार्य आप राज्य सरकारों की मर्ज़ी पर ही छोड़ते हैं तो यह नज़रबन्दों के हित में हानिकारक सिद्ध होगा। अतः मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों को यह छूट न दी जाये कि वे जैसा चाहें अपनी इच्छानुसार भारत सरकार को कागज़ात भेजें बल्कि उन से यह कह दिया जाये कि जहां तक सम्भव हो वे अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां भेजें।

डा० काटजू : जितने भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उन सब के सम्बन्ध में सदन को अनेक तथा विविध प्रकार के भाषण सुनने को मिले हैं। गुड़गांव से आने वाले मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो अभी अभी भाषण दिया है उस से मेरा कार्य बहुत हलका हो गया है।

अब मैं आपके विचारार्थ कुछ बातें रखता हूं। १९४६ और १९५० के बीच चार वर्षों में जो घटनायें हुई हैं उन का मैं ने बहुत ही 'हृदयग्राही' विवरण सुना है। मैं 'हृदयग्राही' शब्द को व्यंग करने के लिए प्रयोग नहीं कर रहा हूं बल्कि जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री कह चुके हैं नज़रबन्दों के बहुत से अनावश्यक मामले भी हुए हैं। परन्तु मैं सदन से इस बात को याद रखने का निवेदन करूंगा कि न तो हम उन मामलों की परिस्थितियों से पूर्ण रूप से परिचित थे न ही अधिनियमों की भाषा से जिन के अन्तर्गत यह नज़रबन्द बनाये गये थे। सदन को यह तो याद ही होगा कि १९५० से पूर्व—यह वह वर्ष है जब कि पहली बार काम चलाऊ संसद द्वारा पहला निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया था—उन में से प्रत्येक राज्य के अपने अपने अलग अधिनियम थे जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न थे। कुछ कड़े थे, कुछ कम कड़े थे तथा कुछ और भी अधिक कड़े थे तथा हो सकता है कि कुछ की भाषा बहुत व्यापक हो तथा साथ ही सदन यह भी याद रखेगा कि इन राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेटों तक को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार दे रखा गया था तथा केन्द्रीय सरकार ने भी १९५० के अधिनियम द्वारा इन अधिकारों को बनाये रखा था।

यह भी हो सकता है कि सम्बद्ध अधिकारी नज़रबन्दी के कारण तैयार करने में उतने कार्यकुशल न हों क्योंकि उन्हें कोई उचित वैधानिक सलाह तो मिलती नहीं थी। हो सकता है वह नज़रबन्दी के कारण लिखने में बहुत ही अनिश्चित हों, उन्होंने उस व्यक्ति के कालेज जीवन की बातों को सामने रखते हुए नज़रबन्दी के कारण तैयार किये हों तथा हो सकता है ऐसा करने में उन्हें बहुत सहायता प्राप्त हुई हो तथा नज़रबन्दी के कारण इस बात से आरम्भ किये गये हों कि उसने १९२५ में एक मिशन कालेज से डिगरी प्राप्त की तथा उसने ऐसा किया या वैसा किया, इत्यादि।

यह सब कुछ बीत चुका है, समाप्त हो गया है। जो कुछ हो गया, हो गया। अब यहां पर हमारे सामने १९५२ है। १९५० का पहला अधिनियम चार घन्टों की एक ही बैठक में पारित कर दिया गया था। मेरी तो इच्छा थी कि हम अब भी उसी शीघ्रता से इसे पारित कर देते। यदि ऐसा हो जाता तो राष्ट्र को ५ लाख रुपयों की बचत हो जाती। कुछ भी हो,

[डा० काटजू]

वह अधिनियम पारित कर दिया गया था तथा उसके अन्तर्गत सब-डीविज़नल मजिस्ट्रेटों तक को नज़रबन्दी के आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तब फिर १९५१ आया जब कि संशोधी विधेयक पुरःस्थापित हुआ तथा पारित कर दिया गया। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं इस बात के प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं कि यह अधिनियम पहले की अपेक्षा काफी सुधरा हुआ था। मैं तो यह सुनना चाहता था कि १९५१ में क्या हुआ। जितने भी न्यायालय निर्णयों का उल्लेख किया गया था वे सब १९४८, अलाहबाद-१९४९, मद्रास-१९५०, बम्बई-१९४९, इत्यादि के थे। मालाबार से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने जिन निर्णयों का उल्लेख किया था वे सब १९४७ से फ़रवरी १९५१ की अवधि के बीच के थे तथा उनका क्या अर्थ निकलता है इस पर भी बहस हुई थी। परन्तु कहने का अभिप्राय यह है कि अब स्थिति सुधरती जा रही है।

१९५१ वाले अधिनियम में नीति का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। वह अधिनियम अच्छा है या बुरा, भारतीय दड विधान के समान ही समस्त भारत पर लागू है। मझे यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस अधिनियम को उदार, स्पष्ट तथा सरल बनाने की चेष्टा की गई थी। मुझे इस में लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि जिन मामलों का पिछले वर्षों में निर्देश किया गया था उनकी संख्या घटती ही जायगी तथा नज़रबन्द करने के कारणों को अधिक निश्चित, तथा ठीक ढंग से लिखा जायेगा--वे चाहे अच्छे हों या बुरे---मैं उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह रहा हूं।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि १९५० से पूर्व कहीं पर भी किसी प्रकार का मंत्रणा बोर्ड नहीं था। जब हमने यहां पर पहला अधिनियम पारित किया था तो मंत्रणा बोर्ड के कृत्यों को हम ने केवल आवश्यक प्रदाय तथा आवश्यक सेवाओं से सम्बन्ध रखने वाले मामलों तक सीमित रखा था तथा सार्वजनिक व्यवस्था, वैदेशिक सम्बन्ध सुरक्षा इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को शामिल नहीं किया था तथा यह बात केन्द्रीय सरकार पर ही छोड़ दी थी कि वह चाहे तो निर्देश करे अथवा नहीं, वह निर्देश करने के लिए बाध्य नहीं थी। १९५१ में हम ने इस प्रकार निर्देश करना अनिवार्य कर दिया तथा मैं सदन को बतला ही चुका हूं कि गत वर्ष में मंत्रणा बोर्ड नें कितना लाभदायक काम किया है। संयुक्त प्रवर समिति के पास मैंने उन व्यक्तियों के नामों की एक सूची भी भेजी थी जो मंत्रणा बोर्डों पर कार्य कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, अवकाश-प्राप्त उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, अवकाश-प्राप्त सत्र न्यायाधीशों तथा ऐसे वकीलों के नाम थे जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखते थे। इन मंत्रणा बोर्डों ने २८ प्रतिशत मामलों में नज़रबन्दों को छोड़ दिया है।

अतः मेरा सुझाव है कि जब आप ध्यान दें तो, पिछले इतिहास को न भुला दें। अब काफी समय बीत चुका है। हमें उन बातों से तो अब कुछ लाभ होना नहीं है क्योंकि जो होना था वह तो हो ही गया। वे अब महत्वपूर्ण नहीं हैं। काम की बात तो यह है कि आज हमें क्या करना है ? मेरा निवेदन है कि आज आपके सामने यह एक

अधिनियम है जिसको हम जहां तक सम्भव हो सकता ह उदार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं; बिना किसी प्रकार का आरोप लगाये हुए मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि इस अधिनियम को जहां तक सुधारा जा सकता था सुधार दिया गया है—आखिरकार आपने निवारक विरोध अधिनियम की आवश्यकता को तो स्वीकार कर ही लिया है। आप चाहें तो छोटे मोटे रूप सम्बन्धी संशोधन किये जा सकते हैं किन्तु इससे आगे नहीं।

मैं एक दूसरी बात की ओर भी आपका ध्यान फौरन ही आकृष्ट कर देना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखे : दंड प्रक्रिया संहिता की निवारक धाराओं के सम्बन्ध में क्या कहना है ? हम सब लोग उनको जानते हैं। धारा १०७ का सम्बन्ध उन मामलों से है जिनमें शान्ति भंग होने की आशंका होती है; धारा १०८ : राजद्रोहात्मक सिद्धान्तों का प्रचार—मुझे पता नहीं कि राजद्रोह के सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है; धारा १०९ प्रकट रूप से जीवन निर्वाह के साधन—मेरे विचार में वह किसी पर भी और कहीं पर भी लागू नहीं होता, हो सकता है लोग अनेक बातें कहें, किन्तु यह धारा वर्तमान तो है ही; धारा ११० : उत्तर प्रदेश में इसे बदमाशी धारा कहा जाता है—अभ्यस्त लुटेरे अभ्यस्त डाकू, चोरी की वस्तुएं खरीदने वाले अभ्यस्त लोग, बदमाश। अब केवल एक बात यह है : मजिस्ट्रेट आपके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर सकता है किन्तु वह आपको जेल में बन्द नहीं कर सकता। वह अपने क्षेत्राधिकार में आप से केवल ज़मानत मांग सकता है। यदि वह निम्न श्रेणी का मजिस्ट्रेट है तो केवल अपने ही सब-डिवीज़न के अन्दर और यदि ज़िला मजिस्ट्रेट है तो पूरे जिले भर के लिये। बिना कोई आक्षेप लगाये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जिन प्रकार के लोगों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं उनके लिए कितनी भी बड़ी जमानत देना कठिन काम नहीं है। मान लीजिये आदेश दिया जाता है कि यदि तुम १०,००० रुपये जमानत के तौर पर जमा नहीं करोगे तो तुम्हें एक साल या दो साल की सजा दे दी जायेगी, तो तुरन्त ही १०,००० रुपये मौजूद हो जायेंगे। क्या आप समझते हैं समाजविरोधी कार्यवाही करने वालों, चोर-बाज़ारी करने वालों, अतिसंचय करने वालों के पास १०,००० रुपये भी नहीं निकलगे ?

जब साम्यवादी दल के मेरे मित्रों ने यह आपत्ति उठाई थी कि यह अधिकार न दिया जाये तो वास्तव में, मुझे आश्चर्य हुआ था। क्या एक दल या वर्ग के विरुद्ध एक तरीके से काम लिया जाये तथा चोर-बाज़ारी, अतिसंचय, मुनाफाखोरी करने वालों के साथ दूसरे तरीके से काम लिया जाये (**अन्तर्बाधा**) वे तो उन्हें फांसी पर लटका देने के लिये तैयार हैं। मैं ने विचार किया कि आखिर बात क्या है ? बात यह थी कि एक ही खण्ड से दो बातें पूरी हो जाती थीं : आवश्यक वस्तुएं तथा आवश्यक सेवायें। जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है वे पूरी तरह से मेरे साथ हैं किन्तु जहां तक आवश्यक सेवाओं का सम्बन्ध है वे मेरे बिल्कुल विरुद्ध हैं। उनका मन तो रेलवे सेवाओं, डाकीय सेवाओं में लगा हुआ है ; वे तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हड़तालें हों तो अच्छा हो। वे तो चाहते हैं कि भारत की आवश्यक सेवाओं में जितनी भी अधिक गड़बड़ी हो उतना ही अच्छा। परन्तु यदि वे इस ओर बैठ कर शासन करने लगेंगे तो निस्सन्देह वे इन बातों को पसन्द

[डा० काटजू]

नहीं करेंगे, किन्तु हो सकता है बाहर वाले इन बातों को पसन्द करें। यही कारण है कि वे दोनों को ही विधेयक से निकलवा देना चाहते हैं।

अब मैं पुनः निवारक धाराओं को लेता हूं। इन के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातें हैं: केवल एक ही आदेश जारी किया जा सकता है कि ज़मानत जमा करो या किसी की ज़मानत लाओ। ऐसा करना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिये कठिन नहीं है जो मजदूर संघ का नेता हो या चोर बाज़ारी करने वाला हो या फिर ऐसे व्यक्ति जो हमारे विचार में सार्वजनिक-व्यवस्था को भंग करने या अन्य इसी प्रकार के कार्य करने में दिलचस्पी रखते हों। दूसरी बात है क्षेत्राधिकार और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिये यहां दिल्ली में ज़िला मजिस्ट्रेट एक आदेश जारी करता है, वह व्यक्ति ज़मानत जमा कर देता है और उसके बाद वह चार या पांच मील दूर स्थित ओखला चला जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट उसका क्या कर लेगा। यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उस स्थान पर ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन न होगा। जहां तक राजनैतिक दलों या ऐसे दलों में दिलचस्पी रखने वालों का सम्बन्ध है, वे अपने स्थानों को बदल सकते हैं--बम्बई से मद्रास। जब वे देखते हैं कि बम्बई का वातावरण बहुत गर्म हो उठा है तो वे मद्रास चल पड़ते हैं। वे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पहुंच जाते हैं। अतः इन परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता की निवारक धाराएं बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। मैं ने इस बात को इसलिये विस्तार में कहा क्योंकि बहुधा निवारक धाराओं के अन्तर्गत अपीलें की गई हैं तथा जो लोग उन्हें संक्षेप में पढ़ते हैं वे यही कहते हैं: "जरा इस सरकार को तो देखो। मुकदमा चलाये बिना ही नज़रबन्दी।" निस्सन्देह, इन निवारक धाराओं के अन्तर्गत आप सुनी सुनाई साक्ष्य दे सकते हैं। एक गवाह के बाद दूसरा गवाह मजिस्ट्रेट के सामने जा कर यही कहता है: कटहरे में खड़ा व्यक्ति डाकू है। तुम कैसे जानते हो? गांव में प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है। वही व्यक्ति अपनी सफाई के लिए ४० गवाह खड़े कर देता है और वे कहते हैं: "भला मानस है। सब कोई उसे जानते हैं, उसको चाहते हैं। और इस सिफारिश पर फैसला किया जाता है। (**अन्तर्बाधा**) परन्तु आदेश का वास्तविक अभिप्राय है सुरक्षा से तथा क्षेत्राधिकार से और किसी से भी नहीं। हमारे दृष्टिकोण से यह बिल्कुल ही बेकार है।

डा० एस० पी० मुखर्जी: कानून में संशोधन किया जा सकता है।

डा० काटजू: यह तो एक अलग विषय है। पिछले दो दिनों से मैं अपने आपको नियंत्रण में रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप कानून को बदलने की बात करते हैं। यदि मैं कानून को बदल देता हूं तो आप ही गला फाड़-फाड़ कर कहेंगे "यही वह काला आदमी है जो एक दूसरा काला कानून बनाने का प्रयत्न कर रहा है।"

डा० एस० पी० मुखर्जी: आप पर चिल्लायेंगे नहीं शाबाशी देंगे।

डा० काटजू: आप कहेंगे: "यहां तो हमारे पास एक मंत्रणा बोर्ड है जिसके सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिनको ३५०० रुपये प्रति मास मिलते हैं तथा जिनको न्याय करने का वर्षों से अनुभव

है और अब यह बिल्कुल ही नया मजिस्ट्रेट लाद दिया गया है।" आपका ज़िला मजिस्ट्रेट में विश्वास नहीं है ; क्या आप साधारण मजिस्ट्रेट में विश्वास करेंगे ?

डा० एस० पी० मुखर्जी : हम ऐसा नहीं करेंगे । आप प्रयत्न तो कीजिये ।

डा० काटजू : मैं इस मामले के केवल कुछ पहलू आपके सामने रख रहा हूं । यह एक ऐसी बात है जिसको माननीय सदस्य ध्यान में रखेंगे । मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस अधिनियम को किसी दल के विरुद्ध प्रयोग करने का विचार नहीं है, इसे विशेष व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग करने का विचार है । एक माननीय सदस्य ने एक बहुत ही सुन्दर सुझाव रखा था । उन्होंने कहा : "क्या आपके कहने का अभिप्राय यह है कि सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था को केवल एक व्यक्ति भंग कर सकता है ? अशान्ति पैदा करने के लिए दलों की आवश्यकता होती ह । और फिर आपका अधिनियम क्या करेगा ?" दक्षिण कलकत्ते से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने जो भाषण दिया है उसको मैंने हमेशा के लिए अपने मन में बैठा लिया है.....

डा० एस० पी० मुखर्जी : दक्षिण-पूर्वी कलकत्ता ।

डा० काटजू : पिछले वर्ष उन्होंने सरकार पर निश्चित ढंग से न चलने का आरोप लगाया था--उसे मैं इस समय तो नहीं पढ़ना चाहता हूं । उन्होंने कहा: "आपके कार्य करने की कोई दृढ़ नीति नहीं है । किसी को भी यह मालूम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं । यदि कोई दल"--उन्होंने दल का नाम लिया तथा यह भी कहा कि उसके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जा सकता है कि वह उस प्रकार से कार्य कर रहा है--"तो आप उसके साथ कड़ाई का व्यवहार करें" और उन्होंने समस्त दल पर पाबन्दी लगाने का सुझाव रखा था--पूर्णतया प्रशासनीय कार्यवाही ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि उनके विरुद्ध यह साक्ष्य मौजूद है कि वे विदेशी शक्ति के गुप्तचर हैं ।

डा० काटजू : मुझे यह ख्याल था कि यदि आप किसी राजनीतिक दल पर पाबन्दी लगा देते हैं तो उस पाबन्दी की परीक्षा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नहीं हो सकती है....

डा० एस० पी० मुखर्जी : माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में मेरा दूसरा वाक्य यह था कि यदि वह दल इस बात की घोषणा कर देता है कि वह वैधानिक ढंग से कार्य करेगा तो उसे देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये । वह उसे पूरी तरह पढ़ ले । यदि वह मेरी सलाह को इस तरह मानने के लिये तैयार हैं तो उन्हें चाहिये कि वह सब मामलों में उसे मानें ।

डा० काटजू : मैं मामले के मूल आशय से सम्बन्ध रखता हूं तथा क़ानूनी रिपोर्टों में मैं केवल शीर्षक देखता हूं न कि कुल निर्णय को पढ़ता हूं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह आप के लिये सुविधाजनक होगा ।

डा० काटजू : अतः मैं उन माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं, जिन्होंने यह बात उठाई थी कि हो सकता है कानून क्रियकारी न रहे । हो सकता है वह दलों या वर्गों पर लागू न हो सके । मेरा केवल यही उत्तर है कि यह केवल व्यक्तियों पर लागू किया जायेगा, किन्तु यदि कोई दल कुव्यवहार करता है --चाहे वह कोई भी दल क्यों न हो--तो

[डा० काटजू]

हमारे पथ-प्रदर्शन के लिये हमारे माननीय मित्र का सुझाव सदव हमारे सामने है ; उन पर पाबन्दी लगा दो, उन के साथ कड़ाई का व्यवहार करो । उन्होंने यह बतलाने के लिए बहुत ही ज़ोरदार तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया था जिस से सदन भली भांति परिचित है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं ने कहा था कि साक्ष्य को संसद् के सामने रखिये ।

डा० काटजू : जी हां ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या आप ऐसा कर सकते हैं—आप में साहस ही नहीं है ।

डा० काटजू : मैं ने यह बात तो कभी नहीं सुनी कि संसद् भी कानूनी न्यायालय का कार्य कर सकता है—यह तो बहस का न्यायालय है जहां हर प्रकार के आरोप लगाये जा सकते हैं तथा दूसरों पर कीचड़ उछाला जा सकता है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : इंग्लैंड में हाउस आफ लार्डस् अपील का सबसे उच्च न्यायालय है ।

डा० काटजू : बहुत ठीक । यह तीसरी बात के सम्बन्ध में है । अब मैं जिस चौथे खण्ड को लेता हूं उसमें वास्तव में चार भाग हैं—इन पर कई बार बहुत कुछ कहा जा चुका है । पहले में न्यायिक क्षेत्र बताया गया है । यदि माननीय सदस्य समस्त संशोधनों पर विचार करें तो उन्हें पता लगेगा कि कुछ भी बाकी नहीं रह जाता । यह तो एक ऐसी आश्चर्य की बात है कि सामने बैठे हुए सदस्यों को सार्वजनिक व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है । दुर्भाग्यवश, मुझे तथा मेरे दल को है । आवश्यक वस्तुओं तथा आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है; विदेशी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है । यदि उन्हें किसी बात में दिलचस्पी है तो वह है भारत की सुरक्षा को बनाये रखने में । और यदि आप इस कार्य के लिए निवारक निरोध अधिनियम बनाते हैं तो उत्तर यह होगा : पहले युद्ध तो होने दीजिए । जब तक युद्ध नहीं होता तथा संकट उत्पन्न नहीं होता तब तक क़ानून बनाने की क्या आवश्यकता है । वे हमारे सामने इंग्लैण्ड का उदाहरण रखेंगे तथा प्रथम विषव युद्ध के छिड़ जाने पर पारित किया गया "डोरा" नामक पहले अधिनियय की दुहाई देंगे । जब दुबारा पुनः युद्ध छिड़ा तो दूसरा अधिनियम पारित किया गया । अधिनियम के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, उस के लिए मत देने के पश्चात् उसे प्रवर समिति में भेजने के पश्चात् अब आप इस विधेयक को यह कह कर बेकार कर देना चाहते हैं : "कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था नहीं—हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है । इसके सम्बन्ध में कानून है । पहले उस व्यक्ति को पकड़ लीजिये बाद में उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये । यदि वह व्यक्ति छिप जाता है और गुप्तरूप से कार्य करता है तो उसे छोड़ दीजिये । यदि उस की कोई सम्पत्ति हो तो इस पर भी हाथ न लगाइये । उसे उस के कुटुम्ब के लिए छोड़ दीजिये अन्यथा उसका कुटुम्ब भूख से मर जायेगा ।" प्रवर समिति में यही सब कहा गया था । आप उस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी कर सकते हैं किन्तु उसकी सम्पति

पर हाथ न लगाये जहां तक उस व्यक्ति का सम्बन्ध है वह तो छिप ही गया है अत: सार्वजनिक व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

जब संविधान तैयार किया गया था तो मेरे माननीय मित्र ने 'विदेशी शक्तियों के साथ सम्बन्ध' को उसमें रख दिया था। मैंने यहां अन्य सदस्यों से पूछा यह किस लिये रखा गया था ? क्या मजाक करने के लिये उन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ सम्बन्धों को रखा था ? यह जिंदगी और मौत का सवाल है। भारत अब आजाद हो गया है, विदेशों के साथ हमने अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं हम एक विशेष वैदेशिक नीति का अनुसरण करना चाहते हैं जिस को सदन मंजूर कर चुका है। हम जानते हैं कि यहां पर बहुत से दल ऐसे हैं जो व्यवस्था को उलट देना चाहते हैं। कुछ कहते हैं, "उस गुट में शामिल मत हो" कुछ अन्य लोग कहते हैं, "उस गुट में शामिल हो जाओ" कुछ कहते हैं, "भाई, उत्तरी सीमा है, पूर्वी सीमा दक्षिणी सीमा है।" जहां तक सार्वजनिक व्यवस्था का सम्बन्ध है मेरा कहना है कि उसका विदेशी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने से बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। यह केवल प्रथा के रूप में नहीं रख दिया गया है। आप कह सकते हैं, "ठहरिये और देखिये, सरकार अमुक अमुक विदेशी शक्ति के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में बहस के अधिकार को भी छीन लेना चाहती है।" परन्तु यह बात नहीं है। इस सदन में आप अपने विचार प्रगट कर सकते हैं, यदि आप वैदेशिक कार्यों के सम्बन्ध ही में बहस करना चाहते हैं तो आपको कोई रोकता तो नहीं है किन्तु यह सब नियमित ढंग से होना चाहिये। रोक केवल इस बात पर है कि कोई बात इस ढंग से न की जाये जिस से जनता में अशान्ति फैल जाये। यदि ढाका में कोई बात ऐसी हो जाती है। तो मैंने तथा मेरे माननीय मित्र ने यह देखा है कि उस का असर कलकत्ते में होता है, वहां की जनता को कष्ट उठाना पड़ता है यदि कराची से कोई खबर आती है तो उसका असर दिल्ली में होता है अत: यह बात केवल इस लिए नहीं रखी गई है क्योंकि अब तक ऐसा होता आया ह। मेरे विचार में संविधान बनाने वालों ने इस बात को जान कर रखा है। मेरा निवेदन है कि जो दो अधिनियम पारित कर दिये गये हैं, जिन में से एक को यहां पर बैठे हुए अनेक सदस्य की राय से पारित किया गया था, उनमें वे शब्द वैसे के वैसे ही बने रहें।

अब मैं दूसरे भाग को लेता हूं जो जिला मजिस्ट्रेटों से सम्बन्ध रखता है। मैं इसके सम्बन्ध में कोई लम्बा भाषण नहीं दे सकता और वास्तव में, बात भी यह है कि मेरे माननीय मित्र पंडित भार्गव ने जिस जोरदार तरीके से इसका समर्थन किया है उस से अधिक मैं क्या कह सकता हूं। पहले सब-डिवीजनल अधिकारियों को अधिकार दिये गये थे— और प्रत्येक जिले में ४ या ५ सब-डिवीजनल अधिकारी होते हैं। अब इनकी संख्या कम कर दी गई है। मेरे पास इनके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं जिनका में आगे उल्लेख करूंगा। पश्चिमी बंगाल सरकार के पास मैंने एक तार भेज कर यह पता लगाना चाहा था कि उस राज्य में राज्य सरकार ने स्वयं अपने आप से कितने ऐसे

[डा० काटजू]

मामलों को हाथ में लिया था तथा जिला मजिस्ट्रेटों ने कितने मामलों को और इनका उत्तर इस प्रकार है । उनका कहना है कि समस्त वे मामले जिनका सम्बन्ध किसी भी राजनीतिक दल से था स्वयं राज्य सरकार ने उनके सम्बन्ध में सीधी कार्यवाही की तथा १९५१ में उन्होंने ऐसे १२० मामलों में कार्यवाही की। जहां तक जिला मजिस्ट्रेटों का सम्बन्ध था उन मामलों की संख्या केवल २० थी । संख्या बतलाने से मेरा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले में जिला मजिस्ट्रेट को अवश्य ही सरकार की सलाह से काम करना चाहिये या उसको सूचना देते रहना चाहिये । यह बात पहले की है जब कि हम ने विधेयक में वह संशोधन सम्मिलित नहीं किया था जो कि अब कर लिया गया है । उसी प्रकार, ३० जून १९५२ को समाप्त होने वाली अवधि के सम्बन्ध में मामालों की संख्या ५४ तथा २४ है । अधिकतर इन मामलों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेटों ने कार्यवाही की थी—३० और इसमें से २४ असमाजिक कार्यों के सम्बन्ध में थे । मद्रास में भी यही स्थिति है । वहां पर संख्या बहुत कम है : १९५१ में राज्य सरकार द्वारा १२ तथा १९५२ के ६ महीनों में भी १२—कुछ केवल आदेश ही थे । राज्य तथा जिला मजिस्ट्रेटों ने जिन मामलों में कार्यवाही की थी उनकी संख्याए क्रमशः १२ और दो थीं ।

इसलिए, मैं एक बात पुनः दोहरा देना चाहता हूं कि हमारी शासकीय व्यवस्था में ज़िला मजिट्रेट की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है । उसे बहुत से अधिकार प्राप्त हैं । पिछले समय में ज़िला मजिस्ट्रेट क्या क्या करते रहे हैं इसको जानने की मेरी इच्छा नहीं है । मुझे एक भी ऐसा मामला बतला दिया जाये—निस्सन्देह, अपवाद तो होता ही है, जिसमें ज़िला मजिस्ट्रेट ने जानकर मनमानी की हो । हो सकता है वह विचलित हो गया हो । बहुत से हत्या के मामले होते हैं जिनमें ज़िला मजिस्ट्रेट और बाद में सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को दोषी ठहराते हैं तथा अन्त में उसे मृत्यु दण्ड दे दिया जाता है । दण्डित व्यक्ति जेल में पड़ा रहता है और फांसी का फन्दा इसके सामने झूलता रहता है । इससे बढ़ कर भयानक स्थिति क्या हो सकती है जब किसी अभियुक्त को फांसी के फदे की प्रतीक्षा में जीना पड़ता हो। एक राज्य के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं वहां पर मृत्यु दण्ड पाये हुए १५५ व्यक्तियों में से ५५ की अपील स्वीकार कर ली गई थी तथा दो वर्ष के मानसिक कष्ट तथा मुकदमे के पश्चात् उन्हें छोड़ दिया गया था। अतः हो सकता है ज़िला मजिस्ट्रेट यहां वहां कुछ गलती कर बैठे। हो सकता है उसे जो ख़बरें मिलें उससे वह धोखा खा जाय, किन्तु अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि ज़िला मजिस्ट्रेट अपने ही व्यक्ति हैं। वे विदेशी नहीं हैं। हो सकता है १९४७ से पूर्व उन्हें अपनी अपनी वफादारी से लड़ना पड़ा हो परन्तु अब तो ऐसा करने का कोई कारण ही नहीं है। पुराने मजिस्ट्रेट धीरे २ कम होते जा रहे हैं तथा उनका स्थान हमारे नवयुवक ले रहे हैं जिनमें से कुछ तो बहुत ही कार्यकुशल प्रमाणित हुए हैं। आप पर उनकी छाप पड़ती ही है। अब सत्र समाप्त हो रहा है अन्यथा मैं चाहता था कि आप में से कुछ मेटकाफ़ हाउस जाकर उनसे

मिलें। हमें उन पर गर्व है। वे हमारे विश्वविद्यालय के फूल हैं जिन्हें प्रजातंत्र के ढंग पर प्रशिक्षित किया गया है। अब वे ही काम चलाते हैं। अतः यह कहना कि ज़िला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में कोई अधिकार न दिए जाएं कोई सारभूत बात नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य ने पुलिस कमिश्नरों की भी बड़ी बुराई की थी। सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ था। कलकत्ते के अपने अनुभव के आधार पर मैं पुनः यह कहता हूं कि मेरे विचार में पुलिस कमिश्नर ने कलकत्ते में कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जिसके सम्बन्ध में उसने पहले राज्य सरकार से परामर्श न कर लिया हो। हो सकता है वह किसी कारणवश धारा १४४ को लागू कर दे किन्तु किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को वह अपने मन से गिरफ्तार नहीं करेगा। वह मंत्री महोदय के घर जाकर उनसे कहेगा, "मैं क्या करूं ?" या "मैं यह करने का विचार रखता हूं।" वह उनसे अनौपचारिक रूप से परामर्श कर लेगा। दमन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इसी आशंका को सदन के दिमाग से निकाल देना चाहता हूं।

इसके बाद यह सबसे महत्वपूर्ण खंड आता है--मेरा अभिप्राय नये खड से है—जिसे हमने पुरःस्थापित किया है कि प्रत्येक ज़िला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के पास कागज़ात भेजेगा तथा राज्य सरकार को इस बात पर विचार करने का अवसर देगा तथा इस बात की जिम्मेदारी भी उसी पर छोड़ेगा कि उसके आदेश को ठीक समझा जाय अथवा रद्द कर दिया जाय। केवल सूचना भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा अवधि भी घटाकर १२ दिन कर दी गई है। मैंने कुछ राज्य सरकारों को इसके सम्बन्ध में लिखा था तथा उन्होंने कहा : "क्या आप यह नहीं सोचते कि १२ दिन का समय बहुत थोड़ा है।" कुछ भी हो जो कुछ मैंने किया मैं उससे मुंह नहीं मोड़ता। मैं चाहता हूं कि यह जो नई बात रखी गई है इसको आप कम महत्वपूर्ण न समझें तथा साथ ही यह भी याद रखें कि हमने ज़िला मजिस्ट्रेट से समस्त आवश्यक कागज़ात भेजने के लिये कहा है।

अब मैं अंतिम बात पर आता हूं, अर्थात, चौथा उपखंड। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिससे कोई ग़लतफहमी न रह जाय। हमें जो कागज़ात भेजे जाते हैं वह सूचना के हेतु भेजे जाते हैं। मैं अपवाद वाले मामलों की बात नहीं कर रहा हूं। वह एक दूसरा मामला है। यहां तक कि अपवाद वाले मामलों में भी कोई माननीय सदस्य या भारत का कोई भी नागरिक मुझ से आ कर यह कहे, "तथ्य इस प्रकार हैं। इस के साथ न्याय नहीं किया गया है" तो मैं आप से ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैं यह करूंगा, हो सकता है मेरे बाद आने वाले मेरे उत्तराधिकारी कोई और ढंग अपना लें—किंतु मैं तो यही करूंगा.....

डा० एस० पी० मुखर्जी : आप अपने उत्तराधिकारी की बात क्यों सोच रहे हैं

डा० काटजू : मैं तुरन्त ही राज्य सरकार को तार देकर यह कहूंगा, "मेरे सामने यहां पर नये तथ्य रखे गये हैं।

[डा० काटजू]

अच्छा होगा आप अपने आदेश पर पुनः विचार कर लें।" परन्तु ऐसा कर के आप राज्य सरकार को उस की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। अपवाद वाले मामलों को छोड़ कर होगा, यह, कि राज्य सरकार १२ दिनों के अन्दर उस आदेश की मंजूरी दे देगी। इस के बाद ३ सप्ताह में या २० दिनों में उस मामले को मंत्रणा बोर्ड के सामने लाना होगा। केन्द्रीय सरकार को कागज़ात भेजने में राज्य सरकार एक सप्ताह या १० दिन ले लेगी। क्या आप यह चाहते हैं पुनर्विलोकन करने वाले दो प्राधिकार साथ साथ कार्य करेंगे? मेरा आप से निवेदन है—कुछ अपवाद वाले मामलों को छोड़ कर—क्या केन्द्रीय सरकार के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक मंत्रणा बोर्ड कार्य कर रहा है—एक ऐसा मंत्रणा बोर्ड जिसे उच्च अधिकार प्राप्त हैं, जो मामले की हर तरह से छान बीन कर सकती है तथा नज़रबन्द से पूछ ताछ भी कर सकता है—हस्तक्षेप करना उचित होगा? क्या केन्द्रीय सरकार का यह कहना उचित होगा कि वह स्वयं इस मामले पर विचार करेगी तथा देखगी कि क्या किया जा सकता है? यह प्रस्तावित उप-खंड (४) विधेयक में सम्मिलित किया गया था तथा प्रवर समिति ने इसे केवल इस आशय से स्वीकार किया था जिस से यह ठीक ठीक सूचना प्राप्त हो सके कि क्या हो रहा है तथा हम इन मामलों का एक रजिस्टर रख सकें। जब मंत्रणा बोर्ड अपनी जांच समाप्त करके इस निश्चय पर पहुंचता है कि इस प्रकार का आदेश जारी किए जाने का कोई कारण नहीं है तो उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जायेगा। यदि मंत्रणा बोर्ड यह कहता है कि आदेश ठीक है तो राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ही आगे की कार्यवाहियों पर नज़र रखेंगी तथा हो सकता है परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाये तथा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार यह कहे, "हम आदेश को आंशिक रूप से रद्द करते हैं या पूर्णतः रद्द कर देते हैं।"

अन्त में मेरे माननीय मित्र ने यह आश्वासन मांगा था कि इस अधिनियम की कार्यन्विति नियमितता तथा एकरूपता से की जायेगी तथा यह न होगा कि एक राज्य किसी ढंग से कार्य करेगा तथा दूसरा राज्य किसी और ढंग से। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं—पता नहीं कितनी बार दोहरा चुका हूं—कि इस समय जो लोग नज़रबन्द हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी है तथा यह इस बात को पुष्ट करती है कि राज्य सरकार इस मामले में बहुत ही सावधानी से कार्य कर रही हैं। जहां तक भाग 'क' राज्यों का सम्बन्ध है, स्थिति यही है। जहां तक भाग 'ख' राज्यों का सम्बन्ध है मैंने अनेक सदस्यों को यह राय प्रगट करते सुना है कि 'ख' तथा 'ग' राज्यों का भेद मिटा दिया जाना चाहिए तथा सब को भाग 'क' राज्य बना दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो मेरा काम केवल परामर्श देना, सुझाव रखना या मैत्रीपूर्ण सहयोग देने तक सीमित हो जाएगा। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है मैं सदन को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मैं राज्य सरकारों को यह बतला दूंगा कि उन्हें सावधानी से कार्य करना चाहिए जैसा कि वे करती रही हैं, बदले की भावना से नहीं बल्कि मामले की पूरी तरह से जांच करने के पश्चात् तथा उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मामले में

ऐसा अन्याय न हो जाये जिससे दूर रहा जा सकता था। मैं इस से अधिक और कुछ भी नहीं कर सकता हूं।

इस वाद विवाद के पश्चात् मेरा सदन से निवेदन है कि इस खंड के सम्बन्ध में वह संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों रहने दें।

श्री रामजी वर्मा, सरदार हुक्म सिंह, श्री एस० एस० मोरे, श्री टी० के० चौधरी, श्री दामोदर मेनन, पंडित एस० सी० मिश्र, श्री के० के० बसु, श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी, श्री ए० के० गोपालन, श्री वी० मिस्सिर, श्री माधव रेड्डी, श्री वी० पी० नायर, श्री एच० एन० मुखर्जी तथा श्री बनर्जी द्वारा खण्ड ४ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए संशोधन अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया :

नया खंड ४ क

श्री ए० के० गोपालन : माननीय मंत्री ने बतलाया कि जहां तक नजरबन्दों को खाना, कुटुम्ब भत्ता, समाचारपत्र, किताबें, पत्र इत्यादि देने का सम्बन्ध है यह सब राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। मेरा निवेदन है कि यह बात राज्य सरकारों पर न छोड़ी जाए इसके अनेक कारण हैं। जहां तक नजरबन्दों को खाना देने का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य में नियम अलग अलग हैं। बहुधा उनकी किस्म में फर्क होता है। कहीं पर उन्हें राशन दिया जाता है और कहीं पर उन्हें खाना खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं।

मेरे विचार में नज़रबन्दों और साधारण अपराधियों या अभियोगाधीन अभियुक्त में अन्तर होना चाहिए। क्योंकि अपराधी को तो उसके अपराध के लिए दण्ड दिया जाता है किन्तु नज़रबन्दों से किस लिए उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उसे दोषी तो नहीं ठहराया गया है। आप उसे केवल इस लिए जेल में रखते हैं कि वह ऐसी बात न कर सके जो सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध हो। आखिरकार, उसने कोई अपराध तो नहीं किया है। फिर उस के साथ साधारण अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है।

बहुधा उसके पकड़े जाने पर उसके कुटुम्ब वालों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता। जब उसके घरवाले या मित्र मिलना चाहते हैं तो मिलने से पूर्व सूची देनी पड़ती है कि कौन कौन मिलना चाहता है। कभी कभी तो नज़रबन्द की पत्नी या उसकी माता को भी उससे नहीं मिलने दिया गया है। आप कहेंगे वह इस सम्बन्ध में जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट से कह सकता है किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उसके सम्बन्ध में सारा कार्यवाही पुलिस की विशेष शाखा करती है। यहां तक कि उन्हें उनकी इच्छा के समाचार-पत्र या किताबें तक पढ़ने नहीं दी जाती हैं। यदि वे कोई पत्र लिखते हैं तो उसे काला कर दिया जाता है। केवल कुछ शब्द रहने दिये जाते हैं। यही स्थिति उन के पास भेजे गये पत्रों की होती है। मुझे एक ऐसा उदाहरण याद है जिसमें एक नजरबन्द को अपनी ९० वर्षीय माता को पत्र नहीं लिखने दिया गया था।

केवल यही असुविधाएं नहीं हैं बल्कि उन को कभी कभी पीटा भी जाता है जिससे वे माफी मांग लें। उनको हर प्रकार से जेल में झुकाने की कोशिश की

[श्री ए० के० गोपालन]

जाती है। यहां तक कि लाठी, बन्दूकों का प्रयोग किया जाता है। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि जब वे अपराधी नहीं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है ?

अन्त में, मेरा केवल एक निवेदन यह है कि जब आप निवारक निरोध अधिनियम ही पारित कर रहे हैं जो कि पूरे भारत में लागू होगा तो आप इन नज़रबन्दों के जेल में रखे जाने के सम्बन्ध में भी नियम क्यों नहीं बना देते हैं। केन्द्रीय सरकार को ऐसे नियम बना देने चाहिये जिससे नज़रबन्दों को राज्य सरकारों की दया पर जीवित न रहना पड़े।

डा० काटजू : वास्तव में, मुझे इस सम्बन्ध में बहुत अधिक नहीं कहना है। अभियोगाधीन अभियुक्त का निर्देश किया गया है इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि उस प्रकार के अभियुक्त के लिए मेरे दिल में बहुत हमदर्दी है। माननीय सदस्य ने बतलाया कि अभियोगाधीन अभियुक्त इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि यह सन्देह किया जाता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है जब कि नज़रबन्दों को इसलिए जेल में रखा जाता है कि उन पर सन्देह है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। एक तरह से यह निवारक निरोध है अर्थात् उनका रेकार्ड बिल्कुल साफ है तथा अभियोगाधीन अभियुक्तों पर वास्तव में, सन्देह किया जाता है। जिस न्यायशास्त्र को लेकर हम चल रहे हैं उस के अनुसार यह समझा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि वह दोषी नहीं ठहरा दिया जाता। इस प्रकार तो जब तक मजिस्ट्रेट उसे दोषी नहीं ठहरा देता उस के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिये जो नज़रबन्द के साथ किया जाता है। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता। यह समझना कि नज़रबन्दों का एक अपना अलग स्थान होता है, ठीक नहीं है।

दूसरे, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस मामले पर संसद् निर्णय करे कुछ ठीक न होगा क्योंकि परिस्थितियां एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। मुझे यह बात बिल्कुल नई लगी। बंगाल में 'ग' श्रेणी के कैदी तक को सप्ताह में दो या तीन बार मछली खाने को दी जाती है। जब कि यू० पी० के जेल में कोई मछली या मांस नहीं दिया जाता है। यह सब स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अतः हमें यहां दिल्ली में बैठ कर उन मामलों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जिनके बारे में राज्य सरकारें भलीभांति परिचित हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसको १९५१ में भी उठाया गया था तथा मेरे पूर्वाधिकारी ने जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा वह इस प्रकार था :

"इस संशोधन को स्वीकार न करने का केवल एक यही कारण है कि इस प्रकार के सामान्य विधेयक में इस तरह का ब्योरा देना बिल्कुल अनावश्यक है। यहां पर जो शब्द रखे गये हैं उनसे न केवल यह मामला निबट जाता है बल्कि अन्य बहुत सी बातें भी इस से हल हो जाती हैं। यहां "पर भारण पोषण" को केवल इसलिए रखा गया है क्योंकि साधारणतः कैदियों के सम्बन्ध में पोषण भत्ता नहीं दिया जाता है, किन्तु जहां तक पत्र व्यवहार, स्थानीय छुट्टियों में घूमने आदि का सम्बन्ध है, साधारण कैदियों को भी यह सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उनका यहां पर शामिल करना अनावश्यक होगा

तथा इस सम्बन्ध में मुझे कोई भी सन्देह नहीं है कि राज्य सरकारें इन सिद्धान्तों को अपने ध्यान में रखती हैं।"

मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैंने प्रत्येक राज्य के नियमों का अध्ययन कर लिया है किन्तु मैंने कुछ का अध्ययन किया है तथा वे कड़े नहीं हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समस्त राज्य सरकारें नजरबन्दों को भत्ता देती हैं ?

डा० काटजू : मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अधिक उदार हों तथा कुछ कड़ाई से काम लेती हों।

डा० एस० पी० मुखर्जी : कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ही नहीं देती ।

डा० काटजू : वास्तव में, मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या माननीय मंत्री जी राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् नजरबन्दों के कुटुम्बों को भत्ता देने के सम्बन्ध में एक सी नीति नहीं बना सकते ?

डा० काटजू : मैं कोई ऐसा वचन नहीं दे सकता जिसे मैं पूरा न कर सकूं। मैं केवल राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में लिख सकता हूं। करना न करना उनके हाथ में है । फिर भी, मैं संसद् के विचार उन तक पहुंचा दूंगा कि वे एक ऐसी नीति अपनायें जो प्रत्येक राज्य में एक सी हो ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं अपने सशोधन के सम्बन्ध में आग्रह नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्रीजी द्वारा दिये गये आश्वासन के कारण धारा ४ से सम्बन्ध रखने वाले समस्त संशोधनों को प्रस्तुत करने पर आग्रह नहीं किया जा रहा है । अतः उस धारा के सम्बन्ध में और कुछ भी नहीं करना है। वह पहले ही से अधिनियम में है। अतः मैं अगला खण्ड ले सकता हू ।

श्री के० के० बसु : इसके पूर्व कि आप अगला खण्ड लें मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री नजरबन्दों को 'डेटन्यू मैनुअल' नामक पुस्तक उपलब्ध करा दें। जब तक उनके पास यह पुस्तक न होगी। तब तक वे यह कैसे जान सकते हैं कि सम्बन्धियों से मिलने या भरण पोषण के सम्बन्ध में क्या नियम हैं।

डा० काटजू : यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है फिर भी, सदन तथा स्वयं अपनी जानकारी के लिये मैं इस पुस्तक की एक प्रति मंगवा लूंगा।

खंड ५—(धारा ६ का संशोधन आदि)

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि माननीय सदस्यों के हाथ में किताब नहीं है इसलिये प्रस्तुत किये गये संशोधनों का सारांश मैं यहां पर रख रहा हूं। श्री मोरे के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फरार हो जाता है और उसके विरुद्ध नज़रबन्द किये जाने का आदेश जारी कर दिया जाता है तो उसे पकड़ने के तरीकों को अमल में न लाया जाये। आदेश जारी कर दिया जाये किन्तु उसे कार्यान्वित न किया जाये ।

श्री गोपालन के संशोधन के अनुसार वह यह नहीं चाहते कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ८७ तथा ८८ के अन्तर्गत फरार होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जो कार्यवाही की जानी है उसे किया जाये। वह चाहते हैं कि उन उपबन्धों को निकाल दिया जाये जिनके अन्तर्गत सम्पदा को कुर्क करके बेचा

[उपाध्यक्ष महोदय]

जा सकता है अर्थात् उद्घोषणा की जा सकती है किन्तु नजरबन्द के मामले में उद्घोषणा के अन्तर्गत उसकी सम्पदा की कुर्की करके उसे बेचने के आदेश जारी न किये जायें।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा केवल इतना निवेदन है कि एक व्यक्ति जिस के विरुद्ध नजरबन्दी का आदेश जारी कर दिया गया है उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार न किया जाये जैसा कि उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जिस पर किसी अपराध के करने का आरोप लगाया जा चुका है तथा जिस के विरुद्ध वारन्ट जारी किया जा चुका है। जो अधिकारी नजरबन्दी का आदेश जारी करता है उस को अपने नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों से यह कह देना चाहिये कि वे उस व्यक्ति को पकड़ने का भरसक प्रयत्न करें। क्योंकि सम्पूर्ण मामला सन्देह के आधार पर चलाया जाता है इसलिये मेरे विचार में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ८७, ८८ तथा ८९ का प्रयोग इस सम्बन्ध में न होना चाहिये।

श्री ए० के० गोपालन : मालाबार जैसे स्थानों में जहां पर अविभक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है, परिवार के अन्य सदस्यों को कठिनाई उठानी पड़ेगी। मान लीजिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध नजरबन्दी का आदेश जारी कर दिया जाता है और वह फरार हो जाता है तथा उसके परिवार वाले उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं और अविभक्त परिवार की सम्पदा को कुर्क कर के नीलाम कर दिया जाता है तो इससे अन्य सदस्यों को कितनी कठिनाई होगी। वे भूखे मरने लगेंगे। आखिरकार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही परिवार में सदस्यों के राजनीतिक विचार अलग अलग हों, इसलिए, एक के लिए सब को कष्ट देना कहां तक ठीक है।

डा० काटजू : मैं ने कहा था कि सम्पदा को बनाये रखने के सम्बन्ध में अधिक व्यग्रता दिखाई गई थी क्योंकि यदि सम्पदा बनी रहती है तो लुक छिप कर काम करने वाले भी सुरक्षित रह सकते हैं। मेरे माननीय मित्र, जिन के विधि सम्बन्धी अनुभव का मैं बहुत आदर करता हूं, कहते हैं: "एक नजरबन्द के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करो जिस प्रकार का उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जिसके विरुद्ध वारन्ट जारी किया जा चुका है" किन्तु नजरबन्दी का आदेश भी तो एक वारन्ट है।

धारा ८७ या शेष दो धाराओं के अन्तर्गत तभी कार्यवाही की जा सकती है जब न्यायिक जांच हो जाये मैं इस बात की शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि सौ फीसदी लोग जिनके विरुद्ध नजरबन्दी के आदेश जारी किये जाते हैं इस बात को जानते हैं कि उन के विरुद्ध आदेश जारी कर दिये गये हैं। साधारण व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं करता चोर-बाजारी करने वाले लोगों के अपने एजेन्ट होते हैं।

श्री ए० के० गोपालन : आप पहले सूचना देते हैं तथा बाद में आदेश जारी करते हैं। क्या यह बात है?

डा० काटजू : जिन लोगों का दलों से सम्बन्ध होता है उनकी इन मामलों के बारे में अलग एजेन्सियां होती हैं। वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए, मेरा निवेदन है कि प्रत्येक नागरिक को कानून का पालन करना चाहिये क्योंकि ऐसा करना बहुत सरल है। यदि आप

पालन करते हैं आप का मामला मंत्रणा बोर्ड को भेज दिया जाता है। यदि आदेश जारी किया जाना अनुचित था तो आप दो महीने में ही छूट जाएंगे और यदि आदेश का जारी किया जाना उचित ठहराया जाता है तो भी आप एक वर्ष के पश्चात् अपने परिवार से जाकर मिल सकते हैं। तीन साल या पांच साल तक रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सब तो बहुत ही साधारण और सरल है। ५, १०, १५ या २० वर्ष का तो सवाल ही नहीं है।

दूसरे, माननीय सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रकार के मामले में बहुत अधिक समय लगता है इस में कितना समय लगता है इसका मैंने आज अनुमान लगाया था, सबसे पहले अधि-सूचना, फिर उद्घोषणा और तब कहीं कुर्की। कुर्की का अर्थ हुआ कि संसार में सब को खबर देनी होगी, "क्या आप को कोई अपत्ति है, क्या यह सम्पदा आपकी है अथवा यह सम्पदा उस व्यक्ति की है जिसके विरुद्ध आदेश जारी किया गया है ?" इन सब आपत्तिओं को निबटने के पश्चात् यदि मजिस्ट्रेट को यह संतोष हो जाता है कि वास्तव में सम्पदा सम्बद्ध व्यक्ति की ही है तो वह उस सम्पदा को नीलाम नहीं करेगा जब तक कि वह नष्ट हो जाने वाली सम्पदा ही न हो अन्यथा उसे उस सम्पदा को ६ महीने तक सुरक्षित रखना पड़ेगा सुरक्षित रखने के पश्चात् वह उसे नीलाम कर देगा तथा नीलाम में प्राप्त हुई राशि को वह उस फरार व्यक्ति के लिए अगले दो वर्षों तक सुरक्षित रखेगा। यदि इसी बीच में फ़रार अपने आप को हाज़िर कर देता है तथा मजिस्ट्रेट को सन्तुष्ट कर देता है कि उसे वारन्ट के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली थी तो उसे सम्पदा वापस मिल जायेगी। मैंने आज पहली बार इसका हिसाब लगा कर देखा है, हो सकता है इसमें ५ वर्ष भी लग सकते हैं। उद्घोषणा के पश्चात् जैसे ही सम्पदा कुर्क कर ली जाती है तो परिवार के समस्त सदस्यों को, जिनके सम्बन्ध में श्री गोपालन ने इतनी उदारता का प्रदर्शन किया है, अपने प्रिय सम्बन्धी को सूचना पहुंचा देनी चाहिये, "आपके विरुद्ध नज़रबन्दी का आदेश है अतः आप आकर अपने आपको हाज़िर कर दीजिये।"

डा० एस० पी० मुखर्जी : उन्हें कैसे पता लगेगा ?

डा० काटजू : क्या आपका यह कहना है कि परिवार के सदस्यों को फरार के गुप्त स्थान का कोई भी पता न होगा ?

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि वे जानते होंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं देखता हूं कि समस्त मामला दिखावा मात्र होता जाता है तथा मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री एस० एस० मोरे तथा श्री ए० के० गोपालन द्वारा खण्ड ५ के सम्बन्ध म प्रस्तुत किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ६—(धारा ७ का संशोधन आदि)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संयुक्त प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि नज़र-

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बन्द को उसके गिरफ्तार किये जाने के कारण पांच दिन की अवधि में बताये जा सकते हैं । किन्तु मेरा निवेदन है कि नजरबन्द को लाने ले जाने ही में तीन दिन लग जायेंगे । मान लीजिये कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी इलाके में पकड़ा जाता है तथा उसे उसके जिले में लाना है क्योंकि रेल आदि की सुविधाएं नहीं हैं इसलिए हो सकता है दो या तीन दिन उसे लाने में ही लग जायें अतः मैंने सुझाव रखा है कि समय पांच दिन से बढ़ा कर सात दिन कर दिया जाये यदि अधिकारियों को पर्याप्त समय न दिया गया तो वे नजरबन्द को उसके गिरफ्तार किये जाने के निश्चित कारण कैसे बतला सकते हैं । अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि अधिकारीगण नजरबन्दी के आदेश में गिरफ्तार करने के स्पष्ट और निश्चित कारण नहीं बतलाते हैं इसलिए मेरे विचार में नजरबन्द को उसे गिरफ्तार किये जाने के कारण स्पष्टरूप से तथा निश्चित ढंग से बतलाये जाने चाहियें जिससे वह अपनी सफाई देना का पूरा पूरा प्रयत्न कर सके क्योंकि जब उसे अपने गिरफ्तार किये जाने के कारण ही ठीक से पता न होंगे तो वह अपनी सफाई क्या पेश कर सकेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : यह समय पांच दिन का रखा जाता है या सात दिन का इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । हमें चिन्ता इस बात की है कि क्या जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात् इस बात पर विचार करना आरम्भ करता है कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है अथवा नज़रबन्दी का आदेश जारी करने से पूर्व उसे यह देखना पड़ता है कि वह अमुक अमुक व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार करवा रहा तथा ऐसा करने के कारण पहले ही तैयार कर लेता है । मेरे विचार में नज़रबन्दी का आदेश जारी करने से पूर्व ही उसे कारणों की सूची तैयार कर लेनी चाहिये । मेरा अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात् उस को गिरफ्तार करने के कारण तैयार न किये जायें, क्योंकि हो सकता है बाद में ऐसे कारण रखे जायें जो सत्य या ठीक न हों । मेरा केवल इतना निवेदन है कि ज़िला मजिस्ट्रेट स्वयं उन कारणों पर विचार करे जिनके आधार पर वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना चाहता है । उसे पहले ही उस सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेना चाहिये कि वारन्ट निकाला जाये अथवा नहीं ।

डा० काटजू : व्यक्तिगतरूप से मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव की दलील में काफ़ी ज़ोर है । किन्तु दो बातों के कारण मैं उनका सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता हूं । पहली बात तो यह है कि मैं संयुक्त प्रवर समिति का बहुत आदर करता हूं । दूसरे यह कि राज्य सरकार को १२ दिनों के अन्दर ही नज़रबन्दी के आदेश का निर्णय कर देना होता है । यदि हम इसकी अवधि पांच दिन से बढ़ा कर सात दिन कर दें तो नज़रबन्दी आदेश के सम्बन्ध में मंजूरी या नामंजूरी देने के लिए राज्य सरकार के पास बहुत कम समय रह जाता है । हो सकता है मंत्री जी प्रधान कार्यालय में न हों, हो सकता है वहां तक पहुंचने में जहां वह हों अधिक समय लग जाये । अतः इस प्रकार राज्य सरकार के पास बहुत कम समय रह जाता है । यदि इस मामले पर संयुक्त प्रवर समिति में विस्तार में चर्चा न हुई होती और इस प्रश्न पर सब पहलुओं से विचार न कर

लिया गया होता तो मैं सुझाव स्वीकार कर लेता । अतः वर्तमान परिस्थिति में मैं यह परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री ए० के० गोपालन : मेरा निवेदन है कि नजरबन्द अपनी सफाई पूरी तरह दे सके इसके लिए उसे समस्त कारण बतलाये जायें तथा उसके मामले से सम्बंध रखने वाली आवश्यक बातें भी बताई जायें । यदि उसको गिरफ़्तार करने के समस्त कारण नहीं बतलाये जाते हैं तो वह अपनी सफाई किस प्रकार दे सकेगा । मामले से सम्बद्ध बातें भी उसे बताई जायें ।

श्री के० के० बसु : नजरबन्द को गिरफ्तार करने के कारण बतलाने का उद्देश्य यह है कि वह यह जान सके कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है तथा जब समय आए तो अपनी सफाई पूरी तरह से दे सके । नजरबन्दी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश जारी करने से पूर्व यह भली भांति देख लेना चाहिये कि वह किन कारणों के आधार पर वैसा कर रहा है । यदि नजरबन्द को उसकी नजरबन्दी के निश्चित तथा स्पष्ट कारण नहीं बतलाये जाते तो वह अपनी सफाई उचित रूप से कैसे पेश कर सकता है । अक्सर होता यह है कि महीनों बाद गिरफ्तार करने के एक या दो और कारण बतलाये जाते हैं जिनके सम्बन्ध में नजरबन्द कुछ नहीं जान पाता । अतः मेरा निवेदन है कि समस्त कारण एक साथ ही बतला दिए जाने चाहियें ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : जैसा कि स्वयं गृह मंत्री एक बार कह चुके हैं कि जब सदन ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि निवारक निरोध अधिनियम की आवश्यकता है तो हर मुमकिन चीज़ की जानी चाहिये जिससे नज़रबन्द अपनी सफाई पेश कर सके । आप उसे जो सुविधाएं देना चाहते हैं यह उसका आरम्भ है । यदि हम उसके सामने सारी बातें नहीं रखते हैं तो उसका सारा भविष्य ही अन्धकारमय हो जायेगा क्योंकि वह तो अपनी सफाई आपके द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में ही रखेगा । कोई यह नहीं कहता कि जिला मजिस्ट्रेट उसके सामने गुप्त बातें भी रख दे । परन्तु गुप्त बातों को छोड़कर तो अन्य बातें आप उसे बतला सकते हैं । यह केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि सारी बातें नज़रबन्द के हित में हैं इसलिए उनको रखा जाना चाहिये बल्कि सही निर्णय पर पहुंचने के लिए यह बातें मंत्रणा बोर्ड के लिए भी आवश्यक हैं । यद्यपि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मंत्रणा बोर्ड किसी भी सूचना को पूछ सकता है, फिर भी, नज़रबन्द के दृष्टिकोण से सारी बातों का रखा जाना ही ठीक होगा जिससे वह अपनी सफाई पूरी तरह से दे सके ।

डा० काटजू : यद्यपि मैं अपने माननीय मित्र का बड़ा आदर करता हूं फिर भी, इस विशेष मामले में मैं उनसे सहमत नहीं हूं । मैं अपने अन्य मित्रों से भी कई कारणों वश सहमत नही हूं तथा मेरा ऐसा करना स्वयं नज़रबन्द के हित में है । सबसे पहली बात तो यह है कि मैं संविधान का पक्का मानने वाला हूं । संविधान बनाने वालों ने अपने विवेक के अनुसार यह कहा है :

> "निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये आवेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश देने वाला

[डा० काटजू]

प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया है उन को बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे शीघ्रताशीघ्र अवसर देगा।"

यह केवल बहस का ही विषय नहीं है। यह सुझाव रखना कि आदेश में दिये गये आधार इतने अपर्याप्त होंगे कि नज़रबन्द अभ्यावेदन भी न कर सकेगा स्वयं संविधान पर लांछन लगाना है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन की राय में "आधार" के क्या अर्थ हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकार से व्याख्या की है किन्तु यदि वह "आधार" शब्द की ऐसी व्याख्या करते हैं जो उस से उपयुक्त हो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हू।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र जानते ही हैं कि न्यायाधीशों में मतभेद होता है। आखिरकार, न्यायाधीश भी मानव ही होते हैं। भारत का एक स्वतन्त्र नागरिक होने के कारण मुझे अपना अलग निश्चय करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में निर्णय दिया है कि आधार अस्पष्ट हैं तथा आधार उस प्रकार के नहीं हैं जिस प्रकार की उन की संविधान में कल्पना की गई थी, इसलिए, समस्त कार्यवाही अमान्य है। इस आधार को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है नज़रबन्द को आपने जो आदेश पत्र दिया है उसमें उल्लिखित आधार वे नहीं हैं जिनकी संविधान बनाने वालों ने कल्पना की थी--वह एक दूसरी बात है। अतः नज़रबन्दी के आधारों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का उचित तरीका यह ह उनको अन्य बातें रख कर पुष्ट किया जाये, जिससे नज़रबन्द अभ्यावेदन कर सके।

मान लीजिये आप नज़रबन्द से यह कहते हैं : तुमने एक भाषण दिया--आप उसे तारीख नहीं बतलाते, स्थान नहीं बतलाते, भाषण का सारांश नहीं बतलाते--तो यह कोई आधार नहीं हुआ। यह बेवकूफी है। आप कह सकते हैं कि उसने टिम्बकटू में भाषण दिया है। कुछ समय से मैं न्यायालयों में वकालत नहीं कर सका हूं किन्तु मालाबार से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने जितनी भी नज़रबन्दी के आदेश पढ़ कर सुनाये हैं, स्वयं अपना भी, उनमें नज़रबन्दी के आधार स्पष्टरूप से दिये हुए हैं--अमुक अमुक दिन अमुक अमुक स्थान पर तुम ने यह कहा: "जाओ और पुलिस को गोली से उड़ा दो।" तुमने कहा: "जाओ और पुलिस के थानों को लूट लो या यह कर दो या वह कर दो।"

मैं इस बात का इच्छुक हूं कि हम उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बीच विवाद का विषय न बढ़ायें। यह मामला अब लगभग तै सा हो चुका है तथा सब लोग जानते हैं कि नजरबन्दी के क्या आधार हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि उचित आधार क्या है तथा अनुचित आधार क्या। है वकील जानते हैं, सरकार जानती है, यहां तक कि भावी नज़रबन्द भी जानते हैं...

डा० एस० पी० मुखर्जी : भविष्य में किन लोगों के नज़रबन्द होने की सम्भावना है?

डा० काटजू : मेरे ही नज़रबन्द होने की सम्भावना है।

आधार क्या हैं यह सभी लोग जानते हैं। यदि अब आप यह कहते हैं कि आधारों की पूर्ति ब्यौरा देकर की जाये तो प्रत्येक न्यायालय में इस बात पर बहस होगी कि यह ब्यौरा नहीं है अतः सारी कार्यवाही गलत है।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं---और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है--- कि यह सब जितने भी निर्णय दिये गये हैं वे मंत्रणा बोर्ड के कार्य आरम्भ करने से पहले दिये गये हैं—१९४६, १९४७, १९४८, १९४९, १९५० के मामलों में।

डा० एस० पी० मुखर्जी : १९५१ में भी।

डा० काटजू : पहले पहल जब सरदार पटेल ने विधेयक पुरःस्थापित किया था तो मंत्रणा बोर्डों को केवल चोर बाज़ारी के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। राजनीतिक मामले उन के पास नहीं जाते थे। मेरे माननीय मित्र ने जिस निर्णय का उल्लेख किया है उसकी तारीख यद्यपि ६ अप्रैल,१९५१ है किन्तु नज़रबन्दी के आधार अवश्य ही १९५० में लिखे गये होंगे। यह उस समय के कदापि नहीं हो सकते हैं जब मंत्रणा बोर्डों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इस बात के इच्छुक थे कि नज़रबन्दी के आधार उस प्रकार के हों जिस प्रकार की संविधान में उनकी कल्पना की गई है। हो सकता है उस समय शायद किसी न इस बात पर विचार भी न किया हो कि यह मामले कभी न्यायालय में भी पेश किये जायेंगे। मेरे विचार में हो सकता है कि राज्य सरकारों के विधि सम्बन्धी सलाहकारों ने यह सोचा हो कि यह मामला राज्य सरकारों का है तथा अभ्यावेदन भी उन्हीं के पास आयेंगे तथा यह केवल प्रशासनीय मामला है। कदाचित कुछ ढिलाई की गई थी। वकीलों ने इसमें हाथ डाला और कहने लगे कि यह एक अलंघनीय शर्त है तथा बन्दी-उपस्थापन के लिये आवेदन दिये गये तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कार्यवाही पर आरम्भ ही से प्रहार करना शुरू कर दिया कि नज़रबन्दी के आधार नहीं दिये गये हैं---अतः बाद की समस्त कार्यवाही ठीक नहीं है।

परन्तु अब तो मंत्रणा बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं। निर्णय दिये जा चके हैं— कृपा कर के इसे ध्यान में रखिये क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है—पहली बात तो यह है कि नज़रबन्दी के आधार ऐसे होने चाहिये जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों तथा संविधान् के अनुसार हों। दूसरे, यह मामला मंत्रणा बोर्ड के सामने जाता है जहां पर नजरबन्द हाजिर किया जाता है। यदि मंत्रणा बोर्ड पूछता है; "कोई शिकायत है ?" तो नजरबन्द कह सकता है "मैं नहीं जानता कि ब्यौरा क्या है; मुझे किस बात का उत्तर देना है ?" जैसा कि सदन को ज्ञात है मंत्रणा बोर्ड में तीन न्यायाधीश होते हैं। वे कहते हैं : यह बहुत अच्छा है। आधारों के अनुसार यह कहा गया है कि उसने एक भाषण दिया तथा वह यह पूछने का अधिकारी है : "कृपा कर के मुझे बतलाइये कि मैं ने अपन भाषण में क्या कहा" और तब मंत्रणा बोर्ड उसे बतला देगा कि उसने क्या कहा।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये सशोधनों को स्वीकार न करने का मुख्य कारण यह है कि मैं मुकदमे बाज़ी

[डा० काटजू]

को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहता हूं वा ही न्यायालयों के लिए और पेचीदा बातें खड़ी करना चाहता हूं । फिर भी, मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है उस दृष्टिकोण से मैं इस मामले पर और अधिक विचार करूंगा ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, ६ अगस्त, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।